



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022022-233546
CG-DL-E-17022022-233546

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 16, 2022/माघ 27, 1943

No. 50]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 16, 2022/MAGHA 27, 1943

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2022

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

क. मामले की पृष्ठभूमि

फा. सं. 6/54/2020-डीजीटीआर.—1. प्लास्टिक्स मशीनरी मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन (जिसे आगे “आवेदक संघ” अथवा “पीएमएमएआई” कहा गया है) ने समय समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे “अधिनियम” भी कहा गया है) और समय समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संकलन तथा क्षति के निर्धारण के लिए), निमावली, 1995 (जिसे आगे “नियमावली” भी कहा गया है) के अनुसार चीन जन.गण. (जिसे आगे “संबद्ध देश” कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन (पीपीएम) अथवा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन (जिसे आगे “विचाराधीन उत्पाद” अथवा “पीयूसी” अथवा “संबद्ध वस्तु” भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में मूल पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए घरेलू उत्पादकों अर्थात् मैसर्स सिबौरा मशीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले तोशिवा मशीन (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)

और मैसर्स मिलाक्रोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे एकसाथ “आवेदक” कहा गया है) की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे “प्राधिकारी” भी कहा गया है) के समक्ष एक विधिवत प्रमाणित आवेदन दायर किया है।

2. आवेदक संघ द्वारा प्रस्तुत किए गए पाटन और क्षति के प्रथमदृष्टया साक्ष्य के साथ विधिवत् प्रमाणित आवेदन के आधार पर, प्राधिकारी ने संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं के पाटन के मौजूद रहने, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए और पाटनरोधी शुल्क की राशि अगर जिसे लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को कथित वास्तविक क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा, की सिफारिश करने के लिए इस नियमावली के नियम 5 के अनुसार भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना सं. 6/54/2020-डीजीटीआर दिनांक 17 फरवरी, 2021 के माध्यम से पाटनरोधी जांच की शुरुआत की।

ख. प्रक्रिया

3. यहां नीचे दी गई उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण इस जांच के संबंध में किया गया है:
 - i. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच को शुरू करने की कार्रवाई करने के पूर्व वर्तमान पाटनरोधी आवेदन के प्राप्त होने के बारे में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।
 - ii. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हुए भारत में राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 17 फरवरी, 2021 की आम सूचना जारी की।
 - iii. प्राधिकारी ने आवेदक संघ द्वारा उपलब्ध कराए गए पते के अनुसार भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग तथा अन्य घरेलू उत्पादकों को जांच आरंभ किए जाने संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना के प्राप्त होने से 30 दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत कराएं।
 - iv. प्राधिकारी ने उपर्युक्त इस नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार भारत में संबद्ध देश के दूतावास को और ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों को आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति उपलब्ध कराई।
 - v. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे संबद्ध देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए सलाह दें। ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति भी संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पते के साथ उन्हें भेजी गई थी।
 - vi. प्राधिकारी ने संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, जिनका ब्यौरा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया था, को इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संगत सूचना देने के लिए निर्यातक की प्रश्नावली भेजी।
 - क. मैसर्स हाइटेन इंटरनेशनल
 - ख. मैसर्स निंगबो हेंगरम प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड
 - ग. मैसर्स हांगझोऊ टेडेरिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड
 - घ. मैसर्स गुआंगझोऊ बोर्च मशीनरी कंपनी लिमिटेड
 - ङ. मैसर्स झेजियांग गोल्डन ईगल प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड
 - च. मैसर्स मिस्टरांग माउल्ड एंड मशीन कंपनी लिमिटेड
 - छ. मैसर्स लिगुआंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड
 - ज. मैसर्स किंगडाओ सानी प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड
 - झ. मैसर्स झांगजियागेंग न्यू वांडा मशीनरी कंपनी लिमिटेड
 - ञ. मैसर्स झेजियांग ईस्ट झोउकिंग प्लास्टिक एंड माउल्ड इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड.

- ट. मैसर्स झांगजियागेंग किंग मशीन कंपनी लिमिटेड
- ठ. मैसर्स शंघाई जीएस मशीनरी मैनुफैक्चर कंपनी लिमिटेड
- ड. मैसर्स सुझोऊ फोसिटा साईस ऐंड टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
- ढ. मैसर्स किंगडाओ रुनजिता प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड
- ण. मैसर्स निंगबो शुआंगमा मशीनरी इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
- त. मैसर्स डेमाग प्लास्टिक मशीनरी (निंगबो) कं. लिमिटेड
- थ. मैसर्स निंगबो हेजियांग प्लास्टिक्स मशीनरी कंपनी लिमिटेड
- द. मैसर्स गुआंगडोंग यिजुमी प्रिसिजन मशीनरी कंपनी लिमिटेड
- ध. मैसर्स शांगडोंग टोंगजिया मशीनरी कंपनी लिमिटेड
- न. मैसर्स चेन डे प्लास्टिक्स मशीनरी कंपनी लिमिटेड
- प. मैसर्स जिनले हुआबाओ प्लास्टिक मशीनरी कंपनी लिमिटेड
- फ. मैसर्स कॉसमोस मशीनरी लिमिटेड
- vii. संबद्ध देश के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्राधिकारी द्वारा उन्हें जारी की गई निर्यातक की प्रश्नावली का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।
- viii. चाइना प्लास्टिक्स मशीनरी इंडस्ट्री एसोसिएशन (सीपीएमआईए) द्वारा अनुरोध किए हैं गया है और उन पर वर्तमान अंतिम जांच परिणामों विधिवत् रूप से विचार किया गया है।
- ix. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आवश्यक सूचना मंगाने के लिए प्रश्नावलियां भेजी।
- क. मैसर्स भारत बॉक्स फैक्टरी लिमिटेड
- ख. मैसर्स कुन्स्टोकोम (इंडिया) लिमिटेड
- ग. मैसर्स सुमि मदरसन ग्रुप
- घ. मैसर्स सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- ड. मैसर्स विद्युत मेटालिक्स लिमिटेड
- च. मैसर्स प्रिंस प्लास्टिक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
- छ. मैसर्स अरुण प्लास्टो मॉड्यूलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- ज. मैसर्स मोल्डवैल प्रोडक्ट्स
- झ. मैसर्स सालजेर इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
- ञ. मैसर्स रिया माड्यूलर्स
- ट. मैसर्स सीजे पोलिटेक प्राइवेट लिमिटेड
- ठ. मैसर्स टेक प्लास्टिक इंडस्ट्रीज
- ड. मैसर्स शक्ति पोलिमर्स
- ढ. मैसर्स टूलिंग टेंपल
- ण. मैसर्स विक्टोरियस इंजीनियरिंग वर्क्स
- त. मैसर्स इजोब्स इन्फो टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- थ. मैसर्स इलैक्ट्रॉनिक्स मशीन टूल्स लिमिटेड

- द. मैसर्स मोल्डवैल प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- ध. आल इंडिया प्लास्टिक मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन, मुंबई (एआईपीएमए)
- x. संबद्ध वस्तु के किसी भी आयातकों और प्रयोक्ताओं ने प्राधिकारी द्वारा उन्हें जारी किए गए प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। ऑल इंडिया प्लास्टिक मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन, मुंबई (एआईपीएमए) द्वारा अनुरोध किए गए हैं और उन पर वर्तमान जांच परिणामों में विधिवत् रूप से विचार किया गया है।
- xi. निर्यातकों, विदेशी उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों जिन्होंने प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिए हैं अथवा इस जांच के संबंध में पूर्ण सूचना नहीं दी है, को असहयोगी हितबद्ध पक्षकारों के रूप में माना गया है।
- xii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक माना गया, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न की गई सूचना के रूप में माना गया है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।
- xiii. सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उनके इस अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर (एनसीवी) ईमेल करें क्योंकि सार्वजनिक फाइल चालू वैश्विक महामारी के कारण भौतिक रूप से प्राप्त किए जाने योग्य नहीं थी।
- xiv. वर्तमान जांच के उद्देश्य से, जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2019 से 30 सितंबर, 2020 (18 महीने) मानी गई है। मानक 12 महीने की तुलना में अपेक्षाकृत लंबी अवधि वाली जांच की अवधि को अपनाने का कारण यह है कि घरेलू उद्योग द्वारा अपने आवेदन में प्रस्तुत किया गया आंकड़ा केवल जून तक ही था जो बिल्कुल हाल का नहीं था और जांच की शुरुआत के समय छह महीने से अधिक अवधि का था। क्षति की जांच की अवधि को 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017, 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018, 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि और जांच की अवधि के रूप में मानी गई है।
- xv. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का डेस्क सत्यापन उस सीमा तक किया गया था, जिस सीमा तक उसे वर्तमान जांच के उद्देश्य से आवश्यक माना गया।
- xvi. क्षति रहित कीमत (एनआईपी) सामान्य रूप से स्वीकार की गई लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और इस नियमावली के अनुबंध III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत और उसका निर्माण एवं बिक्री करने की लागत के आधार पर है।
- xvii. पिछले तीन वर्षों और जांच की अवधि के लिए लेनदेन-वार आयात आंकड़ों के संबंध में वाणिज्यिक सूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से प्राप्त की गई सूचना को भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों की मात्रा और मूल्य के निर्धारण के लिए अपनाई गई है।
- xviii. इस नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 7 सितंबर, 2021 को हुई सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को अवसर भी उपलब्ध कराए। सभी पक्षकारों, जिन्होंने मौखिक सुनवाई में भाग लिया था को लिखित अनुरोध और उसके बाद प्रति उत्तर, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए अवसर उपलब्ध कराया गया था।
- xix. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस जांच की प्रक्रिया के दौरान किए गए अनुरोधों का जहां कहीं भी संगत पाया गया इन अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा ध्यान दिया गया है।
- xx. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुंच दिए जाने से इंकार किया है अथवा अन्य प्रकार से सूचना उपलब्ध नहीं कराई है या इस जांच में बहुत अधिक हद तक बाधा पहुंचाई है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी के रूप में माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ये अंतिम जांच परिणाम रिकॉर्ड किए हैं।

- xxi. इस नियमावली के नियम 16 के अनुसार, जांच के आवश्यक तथ्यों को दिनांक 4 फरवरी, 2022 के प्रकटन विवरण के माध्यम से ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किया गया था और उनके संबंध में प्राप्त टिप्पणियों, जिन्हें प्राधिकारी द्वारा संगत माना गया पर इन अंतिम जांच परिणामों में विचार किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अधिकांश अनुरोध उनके पूर्व के अनुरोधों की पुनरावृत्ति मात्र है। हालांकि, प्रकटन पश्चात अनुरोधों की उस सीमा तक इन अंतिम जांच परिणामों में जांच की जा रही है, जिस सीमा तक उन्हें संगत माना गया।
- xxii. इन अंतिम जांच परिणामों में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना और इस नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा वैसी मानी गई सूचना का द्योतक है।
- xxiii. संबद्ध जांच के लिए जांच की अवधि के दौरान प्राधिकारी द्वारा लिया गया विनिमय दर 1 यूएस डॉलर = 73.17 रु. है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. वर्तमान जांच के उद्देश्य से विचाराधीन उत्पाद “प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन (पीपीएम) अथवा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है”।
5. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में “प्लास्टिक सामग्री के प्रोसेसिंग अथवा मोल्डिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम 40 टन और 3200 टनों से अनधिक क्लैपिंग फोर्स वाला सभी प्रकार के प्लास्टिक प्रोसेसिंग अथवा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन” शामिल है। हालांकि, निम्नलिखित प्रकार के उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया है।
 - i. सीमा प्रशुल्क वर्गीकरण संख्या 847730 के अंतर्गत वर्गीकृत ब्लो मोल्डिंग मशीन;
 - ii. वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन;
 - iii. सभी इलेक्ट्रिक मोल्डिंग मशीन, जिसमें इंजेक्शन, मोल्ड क्लोजिंग, मोल्ड ओपनिंग, इंजेक्शन, स्कू-ड्राइव, आदि जैसे यांत्रिकीय मूवमेंट को स्वतंत्र सर्वो मोटर्स और डिजिटल नियंत्रण प्रणाली वाले सर्वो मोटर और बिना हाइड्रोलिक यूनिट के सर्वो मोटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है;
 - iv. सीमा प्रशुल्क वर्गीकरण सं. 8453 के अंतर्गत फुटवियर बनाने के लिए मल्टी कलर/मल्टी मोल्ड मशीनरी, फुटवियर और फुटवियर सोल/स्ट्रैप/हल बनाने के लिए रोटरी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनरी, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन।
6. संबद्ध वस्तु सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 84 के तहत उपशीर्षक 84771000 वर्गीकरण किए जाने योग्य हैं। सीमा शुल्क वर्गीकरण संसूचक मात्र है और यह किसी भी तरीके से इस जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

ग.1. घरेलू उद्योग के अनुरोध

7. निम्नलिखित घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में किए गए हैं:
 - i. क्लैपिंग फोर्स का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा दो प्रकार की मशीनों की तुलना करने के लिए मापदंड के रूप में किया गया है और उसे मौखिक सुनवाई के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा और पूर्व जांच परिणामों में, प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है।
 - ii. फुटवियर को छोड़कर अन्य उद्देश्यों से मल्टी कलर/मल्टी मोल्ड मशीनरी को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाजार नहीं रखा जा सकता है क्योंकि इन मशीनों को विशेष उद्देश्यों से केलीब्रेट किया जाता है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित ये उत्पाद संबद्ध आयातों के समान वस्तु हैं।
 - iii. उपयोग किए गए/सैकेंड हैंड प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों को पहले ही विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा गया है। घरेलू उद्योग को अंतिम जांच परिणाम में इन मशीनरियों को विशेष रूप से बाहर करने पर प्राधिकारी को कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते उपयोग की गई मशीनों के अभिप्राय का स्पष्ट उल्लेख हो।

iv. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की गई वस्तु, चीन जन.गण. से आयात की गई वस्तु के समान वस्तु हैं।

ग.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

8. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- कलैपिंग फोर्स एक उपयुक्त मापदंड नहीं है क्योंकि चीन निर्मित पीपीएम भारत निर्मित पीपीएम की तुलना में छोटा जबकि कलैपिंग फोर्स वही है। चीन निर्मित पीपीएम लागत कार्यक्षम क्योंकि यह अपेक्षाकृत कम कच्चा माल की खपत करता है।
 - सैकेंड हैंड और उपयोग की गई मशीनरी को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए, जिसे घरेलू उद्योग द्वारा मान लिया गया है। प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि अंतिम जांच परिणामों में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से उसे बाहर रखने का विशिष्ट रूप से उल्लेख करें।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

9. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन (पीपीएम) अथवा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है। विचाराधीन उत्पाद को निम्नलिखित को छोड़कर प्लास्टिक सामग्री के प्रोसेसिंग अथवा मोल्डिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम 40 टन और 3200 टनों से अनधिक कलैपिंग फोर्स वाला सभी प्रकार के प्लास्टिक प्रोसेसिंग अथवा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है:
- सीमा प्रशुल्क वर्गीकरण संख्या 847730 के अंतर्गत वर्गीकृत ब्लो मोल्डिंग मशीन;
 - वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन;
 - सभी इलेक्ट्रिक मोल्डिंग मशीन, जिसमें इंजेक्शन, मोल्ड क्लोजिंग, मोल्ड ओपनिंग, इंजेक्शन, स्कू-ड्राइव, आदि जैसे यांत्रिकीय मूवमेंट को स्वतंत्र सर्वो मोटर्स और डिजिटल नियंत्रण प्रणाली वाले सर्वो मोटर और बिना हाइड्रोलिक यूनिट के सर्वो मोटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है;
 - सीमा प्रशुल्क वर्गीकरण सं. 8453 के अंतर्गत फुटवियर बनाने के लिए मल्टी कलर/मल्टी मोल्ड मशीनरी, फुटवियर और फुटवियर सोल/स्ट्रैप/हल बनाने के लिए रोटरी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनरी, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन।
 - सैकेंड हैंड/ उपयोग की गई प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन।
10. संबद्ध वस्तु सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 84 के तहत उपशीर्षक 84771000 वर्गीकरण किए जाने योग्य हैं। सीमा शुल्क वर्गीकरण संसूचक मात्र है और यह किसी भी तरीके से इस जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।
11. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किए गए और संबद्ध देशों से आयात की गई संबद्ध वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, निर्माण की प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन और वस्तुओं के प्रशुल्क वर्गीकरण के मामले में तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थानापन्न के योग्य हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग कर रहे हैं। इसको देखते हुए, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किया गया विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देश से आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु के रूप में माना जाता है।
12. यह नोट किया जाता है कि प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों का निर्माण कलैपिंग फोर्स के संदर्भ में उल्लिखित विभिन्न आकारों और क्षमताओं में किया जाता है। घरेलू उत्पादक और विदेशी उत्पादक अलग-अलग कलैपिंग फोर्स और अलग-अलग अतिरिक्त विशेषताओं वाले विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों का विनिर्माण करते हैं और अलग-अलग क्षमताओं वाली मशीनों का उपयोग कुछ उत्पाद समूह को मोल्ड करने के लिए किया जाता है। घरेलू उद्योग ने अलग-अलग प्रकारों को विचाराधीन उत्पादों की तुलना करने के लिए आधार के रूप में प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों के कलैपिंग फोर्स पर विचार किया है और तदनुसार सूचना उपलब्ध कराई है। डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों में विचाराधीन उत्पाद के आयात वर्णन का कलैपिंग फोर्स को छोड़कर कोई अलग विशेषता नहीं होती है।

13. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश के किसी भी निर्यातक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी संभावित मापदंडों, जिन्हें उचित तुलना के लिए संगत माना जा सकता है, के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। इस कारण से, प्राधिकारी विभिन्न प्रकार की मशीनों में अंतर स्थापित करने तथा आयात किए गए उत्पाद और घरेलू समान उत्पाद की तुलना करने के लिए उपयुक्त मापदंड के रूप में कलैपिंग फोर्स को माना है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग अलग-अलग कलैपिंग फोर्स वाली मशीनों का उत्पादन करता है और संबद्ध देश में उत्पादकों द्वारा उत्पादन की गई मशीनें उन सीमाओं के भीतर समान वस्तु हैं और वे स्पष्ट रूप से एवं तकनीकी रूप से तथा वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थानापन्न के लायक हैं। ये उत्पाद प्रकार, अपने कलैपिंग फोर्स सीमाओं के भीतर परस्पर समान उत्पाद हैं। अलग-अलग कलैपिंग फोर्सेस की मशीनों का उत्पादन उसी जनशक्ति और समान कच्चे माल के साथ एक ही विनिर्माण सुविधा का उपयोग करते हुए, उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार, उत्पादक विभिन्न कलैपिंग फोर्सेस वाली मशीनों का एक दूसरे के स्थान पर उत्पादन कर सकते हैं और एक प्रकार से दूसरे प्रकार के उत्पादन को आसानी से अपना सकते हैं। निष्पक्ष तुलना के उद्देश्य से, अलग अलग कलैपिंग फोर्सेस की प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों को अलग अलग उत्पाद प्रकार के रूप में माना गया है और संभव सीमा तक उस आधार पर तुलना की गई है। पाटन मार्जिन का निर्धारण सर्वप्रथम कलैपिंग फोर्स-वार मशीनों के लिए किया गया है और उसके बाद उसका भारित औसत लिया गया है।
14. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से पुरानी और उपयोग की गई मशीनरी को बाहर रखे जाने का जहां तक संबंध है, यह नोट किया जाता है कि उसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाता है।

घ. घरेलू उद्योग और आधार

15. इस नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

“(ख) घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।”

घ.1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

16. आवेदकों द्वारा घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- जांच की शुरुआत के लिए आवेदन शिबौरा मशीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मिलाक्रोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से प्लास्टिक्स मशीनरी मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीएमएमए) द्वारा दायर किया गया है। शिबौरा मशीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मिलाक्रोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उत्पादन संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक है। आवेदकों ने वर्तमान जांच के संबंध में सभी संगत सूचना उपलब्ध कराई है। इस आवेदन का समर्थन इलेक्ट्रोनिका प्लास्टिक मशीन्स लिमिटेड और विन्डसर मशीन्स लिमिटेड द्वारा किया गया।
- आवेदकों ने संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है। ये आवेदक पाटित वस्तुओं के किसी आयातक अथवा संबद्ध देश में किसी निर्यातक से या तो प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं हैं।
- व्यापार सूचना कानून की अपेक्षाओं का अधिक्रमण नहीं कर सकता है और समर्थक के रूप में विन्डसर मशीन्स लिमिटेड और इलेक्ट्रोनिका प्लास्टिक मशीन्स लिमिटेड के अधिकारों को व्यापार सूचना का पालन नहीं करने के लिए इंकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, आवेदकों का बिना समर्थकों के भी बहुत बड़ा हिस्सा है।

घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

17. अनेक हितबद्ध पक्षकारों द्वारा घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- आवेदकों को समर्थन करने वाले उत्पादकों का सार्थक और पर्याप्त सूचना उपलब्ध करानी चाहिए ताकि उसका विश्लेषण किया जा सके और उनके संबंध में टिप्पणियां प्रस्तुत की जा सके।

- ii. विन्डसर मशीन्स लिमिटेड और इलेक्ट्रोनिका प्लास्टिक मशीन्स लिमिटेड को एक समर्थक नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इसने केवल समर्थन-पत्र प्रस्तुत किए हैं और प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में पूर्ण उत्तर प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं और उसके कारण व्यापार संख्या 13/2018 और व्यापार सूचना सं. 14/2018 का उल्लंघन हुआ है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

18. यह आवेदन प्लास्टिक्स मशीनरी मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीएमएमएआई) द्वारा दायर किया गया है। यह आवेदन घरेलू उत्पादकों शिबौरा मशीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मिलाक्रोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर किया गया था जो मिलाकर जांच की अवधि (वार्षिकीकृत) के दौरान संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादन का *** प्रतिशत होता है।
19. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदकों ने संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और वे संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातक अथवा संबद्ध देश में किसी निर्यातक से या तो प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं हैं। आवेदकों का समान वस्तु के घरेलू उत्पादन में “एक बहुत बड़ा हिस्सा” है और वे इस नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) के अभिप्राय से पात्र घरेलू उद्योग हैं।

ड. गोपनीयता

ड.1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

20. आवेदकों द्वारा गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - i. लागत संबंधी सूचना एक व्यापार स्वामित्व सूचना है और इसका सारांश नहीं किया जा सकता है। अनवर जूट स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड और नाइट्रो केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में सेस्टेट के निर्णयों पर विश्वास किया गया है।
 - ii. जांच की अवधि (वार्षिकीकृत) के लिए कीमत में कटौती प्रतिवादी के आरोप के विपरीत जांच आरंभ किए जाने के बाद आवेदन में दिया गया है। घरेलू उद्योग के कथित अत्यधिक गोपनीयता के दावे के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अतिरिक्त सूचना नहीं दी गई है।

ड.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

21. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - i. इस आवेदन का एनसीवी इसमें निहित आरोपों को तर्कसंगत तरीके से समझने की अनुमति नहीं देता है। एनसीवी में इस नियमावली के नियम 7 में दिए गए मानकों और व्यापार सूचना सं. 1/2013 को पूरा नहीं किया गया है। इस आवेदन के खंड -VI के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।
 - ii. अत्यधिक गोपनीयता के लिए कोई तर्कसंगत औचित्य नहीं दिया गया है। इस आवेदन में बहुत अधिक आंकड़ों को उचित तरीके से अनुक्रमित नहीं किया गया है। गोपनीयता का कारण बताने वाली तालिका व्यापार सूचना के अनुसार नहीं है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

22. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, इस नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:

“गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।”

23. सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उनमें इस अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर ईमेल करें क्योंकि सार्वजनिक फाइल चालू वैश्विक महामारी के कारण भौतिक रूप से प्राप्त किए जाने योग्य नहीं थी।
24. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की विधिवत जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक माना गया, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न की गई सूचना के रूप में माना गया है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने व्यापार संबंधी संवेदनशील सूचना का गोपनीय होने के रूप में दावा किया है।

च. विविध अनुरोध

च.1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

25. आवेदकों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- i. विरोधी हितबद्ध पक्षकार अपने इस दावे की पुष्टि नहीं कर पाए हैं कि घरेलू उद्योग सिद्ध किया हुआ साक्ष्य उपलब्ध कराने में असफल रहा है और इस कारण से यह आरोप निराधार है।
- ii. जांच की शुरुआत करने के लिए यह आवेदन शिबौरामशीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मिलाक्रोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से मशीन प्लास्टिक्स मशीनरी मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीएमएमआई) द्वारा दायर किया गया है। शिबौरामशीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मिलाक्रोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का उत्पादन संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक है और इसका समर्थन इलैक्ट्रॉनिका प्लास्टिक मशीन्स लिमिटेड और विंडसर मशीन्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है। आवेदक संघ ने दिनांक 6 सितंबर, 2021 के पत्र के माध्यम से प्रचालन कार्य-पद्धति के मैनुअल का पैरा 4.9.10 के अंतर्गत तथा अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराई है।
- iii. सीपीएमआईए और एआईपीएमए नियम 6 और 7 के अंतर्गत निर्धारित दायित्वों का अनुपालन नहीं कर पाया है और इस प्रकार वर्तमान जांच में हितबद्ध पक्षकारों के रूप में अपने आप को सिद्ध करने में असफल रहा है। इसके अलावा, हितबद्ध पक्षकार संगत प्रश्नावली का उत्तर नहीं दे पाए हैं।
- iv. सीपीएमआईए चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए एक समर्पित नहीं है। इसके अलावा, सात उत्पादकों/निर्यातकों, जिसका यह वर्तमान जांच में प्रतिनिधित्व करता है, में से, तीन उत्पादक इसके सदस्य नहीं हैं।
- v. न तो सदस्यों ने सूचना उपलब्ध कराकर इस जांच में सहयोग किया है और न ही उन्होंने इस दावे का खंडन किया है कि चीन जन.गण. के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा भारत में संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है। इसके अलावा, मौखिक अनुरोध के दौरान, संघ ने यह दावा किया कि उनकी रुचि भारत में नहीं है क्योंकि यह उनके लिए एक बड़ा बाजार नहीं है और इस प्रकार शुल्कों को लगाए जाने के संबंध में उनकी कोई आपत्ति देखी नहीं गई है।
- vi. एआईपीएमए प्रयोक्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और वह ऐसे सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकरण अथवा सदस्यों के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं कराकर इसके विश्वसनीयता को दर्शाने में

असफल रहा है। ऑटोमोटिव टायर एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (2011 (270) ई.एल.टी.119 (ट्रि-डेल) में न्यायाधिकरण का संदर्भ लिया गया है जिसने यह माना था कि प्रयोक्ता संघ किसी कानून के अंतर्गत पंजीकरण सहित अपनी विश्वसनीयता और वस्तु और उद्देश्य को दर्शाकर एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में अपने आप को अवश्य स्थापित करे।

- vii. नियम 6(5) के साथ पठित नियम 2(ग) के प्रावधानों के अनुसार, ये संघ इस तथ्य को मानते हुए हितबद्ध पक्षकार नहीं हैं कि संबद्ध वस्तुओं की बिक्री केवल औद्योगिक प्रयोक्ताओं को की जाती है और भाग लेने वाले संघ ने केवल अनुरोध किए हैं।
- viii. पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित के विरुद्ध नहीं होगा क्योंकि प्रयोक्ता/आयातक उद्योग से भागीदारी नहीं होना यह दर्शाता है कि वे प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हुए हैं और उपभोक्ता एवं डाउनस्ट्रीम उद्योग पर शुल्क का प्रभाव बहुत कम है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग में आपस में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा है और देश में मांग-आपूर्ति में कोई अंतर नहीं है। यह भी नोट किया जाता है कि विदेशी उत्पादकों पर विश्वास करना बिक्री के बाद की सेवाओं को बहुत अधिक समय लगने वाली और प्रयोक्ता उद्योग के लिए महंगी सेवा बना देगा।
- ix. उत्तर देने वाले संघ ने पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के संबंध में अपने दावे को सिद्ध करने के लिए बिना ठोस अनुरोध, सूचना अथवा साक्ष्य के मूल कथन के द्वारा वर्तमान जांच को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास किया है। घरेलू उद्योग द्वारा किया गया प्रभाव संबंधी विश्लेषण यह दर्शाता है कि डाउनस्ट्रीम उद्योग पर प्रभाव न केवल बहुत कम है बल्कि शुल्क भी एक श्रमिक गहन उद्योग के रूप में रोजगार का सृजन करने में योगदान करेगा और स्थानीय प्लास्टिक प्रसंस्करणकर्ताओं सहित समर्थन करने वाले उद्योग का विकास होने देगा।

च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

26 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- i. पीएमएमआई ने जांच की शुरुआत के लिए स्थितियों को सिद्ध करते हुए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए हैं। यह जांच आधारहीन है और इस जांच को समाप्त किया जाना चाहिए।
- ii. जबकि पीएमएमआई के पास उनकी वेबसाइट के अनुसार 292 सदस्य हैं, यह आवेदन भारत में संबद्ध वस्तुओं के केवल 24 उत्पादकों की सूची उपलब्ध कराता है। अतः पीएमएमआई के अधिकांश सदस्य संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक नहीं हैं और वे इस नियमावली के नियम 2(ग) (iii) के अनुसार हितबद्ध पक्षकार नहीं हो सकते हैं। “अधिकांश सदस्य” पारिभाषिक शब्द का आशय कम से कम 50 प्रतिशत है। कोई सदस्य उत्पादक ने यह आवेदन प्रस्तुत करने के लिए पीएमएमआई को अधिकृत नहीं किया है। इस संघ को अधिकृत करते हुए बोर्ड की बैठकों कार्यवृत्त अथवा कोई पत्र आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया गया है।
- iii. यह दर्शाने के लिए कि पीएमएमआई नियम 2(ग) (iii) के अंतर्गत पूर्व शर्त को पूरा करता है, कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- iv. त्रुटिपूर्ण अभ्यावेदन के द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन के संबंध में संरक्षण देने का एमएसएमई अंतिम प्रयोक्ताओं पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। इस जांच को जनहित को ध्यान में रखते हुए समाप्त किया जाना चाहिए।
- v. प्राधिकारी द्वारा कोई व्यापार सूचना जारी नहीं की गई है जिसमें प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने के लिए निर्यातक संघ अपेक्षित हो। अतः, सीपीएमआई और एआईपीएम ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था। प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार नोटिस जारी सीपीएमआई अथवा एआईपीएम से कोई सूचना नहीं मंगाई है। अतः, सीपीएमआई और एआईपीएम ने इसके दायित्वों की उपेक्षा नहीं की है।
- vi. सीपीएमआई ने चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयात के संबंध में पिछली जांचों में भाग लिया था। सीपीएमआई ने विगत में पूर्ण रूप से सहयोग किया था और प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित कोई भी सूचना देने के लिए इच्छुक है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए सीपीएमआई के 27 सदस्यों की सूची सीपीएमआई की वेबसाइट के अंग्रेजी रूपांतर से है जो अद्यतित नहीं है। सदस्य की सूची भी पुरानी है। अधिकृत करने वाली

कंपनियां सीपीएमआईए के सभी सदस्य हैं और उनका चीन जन.गण. में विचाराधीन उत्पाद के कुल उत्पादन का 65-70 प्रतिशत है। इस नियमावली में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक, निर्यातक अथवा आयातक के एक संघ के सभी सदस्यों को हितबद्ध पक्षकार होना अपेक्षित नहीं है।

- vii. एआईपीएमए को मूल आवेदन में आवेदक द्वारा एक ज्ञात आयातक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। एआईपीएमए ने विगत में अनेक जांचों में भाग लिया है और प्राधिकारी ने उन्हें एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में माना है।
- viii. प्राधिकारी ने चीन जन.गण. से “60 डेनियर से अधिक के विस्कोस रेयान फिलामेंट यार्न” के संबंध में हाल में संपन्न पाटनरोधी जांच में एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में संघ को माना था। वैसी ही समानता वर्तमान मामले में सीपीएमआईए और एआईपीएमए के लिए लागू किया जाना चाहिए। प्रचालन कार्य-पद्धति के मैनुअल के अनुसार अपेक्षित दस्तावेज सीपीएमआईए और एआईपीएमए के लिए एक बाध्यकारी अपेक्षा नहीं है और इसकी आवश्यकता विशेष रूप से केवल आवेदक संघ के लिए है।
- ix. पाटनरोधी शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम उद्योग पर प्रभाव पड़ेगा जो लागत की वृद्धि को कायम रखने में सक्षम नहीं हो सकता है और बाजार में परवर्ती प्रतिस्पर्धात्मक बेमेल से छोटे उद्योग, बेरोजगारी को बढ़ाएंगे। इसके अलावा, शुल्क बहुत अधिक मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति में भी योगदान करेगा।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 27. वर्तमान जांच की शुरुआत घरेलू उत्पादकों की ओर से आवेदक संघ द्वारा प्रस्तुत किए गए विधिवत् प्रमाणित आवेदन के अनुसरण में किया गया था। इस जांच की शुरुआत, प्राधिकारी द्वारा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के प्रथमदृष्टया साक्ष्य पर आधारित थी।
- 28. जहां तक एक आवेदक संघ के रूप में पीएमएमआई की पात्रता के संबंध में तर्क का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि पीएमएमआई ने दिनांक 6 सितंबर, 2021 के माध्यम से यह सिद्ध करने के लिए आवेदक संघ की निर्धारित सूचना उपलब्ध कराई कि वे वर्तमान जांच में एक हितबद्ध पक्षकार हैं। विचाराधीन उत्पाद सभी ज्ञात उत्पादक पीएमएमआई के सदस्य हैं। संघ के दो सदस्य, शिबौरा मशीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मिलाक्रोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अलग अलग सभी संगत क्षति संबंधी सूचना उपलब्ध कराकर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए अनुरोध किया।
- 29. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सीपीएमआई ने संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के 7 उत्पादकों/निर्यातकों की एक सूची उपलब्ध कराई जिन्होंने सीपीएमआई को वर्तमान जांच में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत किया है। हालांकि, सीपीएमआई ने संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों की पहचान करने के लिए अपने सभी सदस्यों की एक सूची उपलब्ध नहीं कराई है। एआईपीएमए ने भी न तो अपने सदस्यों से पत्र उपलब्ध कराया है, जिनका वो प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं और न ही संबद्ध वस्तुओं में लगे हुए सदस्यों की पहचान करते हुए अपने सदस्यों की सूची उपलब्ध कराई है। आवेदकों ने यह तर्क दिया है कि सीपीएमआई और एआईपीएमए, दोनों संबद्ध वस्तुओं के लिए समर्पित संघ नहीं हैं। हालांकि, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से उनके अनुरोधों पर उस सीमा तक विचार किया है, जिस सीमा तक वे वर्तमान जांच के लिए संगत हैं।
- 30. डाउनस्ट्रीम उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के प्रभाव के तर्क से संबंध में, यह नोट किया जाता है कि किसी भी प्रयोक्ता/आयातक ने वर्तमान जांच में सहयोग नहीं किया है। उत्तर देने वाले प्रयोक्ता संघ भी यह दर्शाने के लिए किसी सत्यापन योग्य साक्ष्य को उपलब्ध नहीं करा पाया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से डाउनस्ट्रीम उद्योगों पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, यदि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से संबद्ध वस्तुओं का उपयोग करते हुए निर्मित उत्पादों की कीमत स्तर प्रभावित भी होती, तब यह केवल भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करेगा।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ.1 सामान्य मूल्य

31. अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के अंतर्गत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:
- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
 - (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-
- क. समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा
- ख. उपधारा- (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;
- बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

32. घरेलू उद्योग द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- i. निर्दिष्ट प्राधिकारी सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए इस नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 1-6 का अनुसरण तभी करेंगे यदि उत्तर देने वाले चीन के उत्पादक/निर्यातक यह सिद्ध करते हों कि उनकी लागत और कीमत संबंधी सूचना ऐसी है कि अलग-अलग सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन का निर्धारण किया जा सकता है। यदि उत्तर देने वाले चीन के उत्पादक/निर्यातक यह दर्शाने में सक्षम नहीं हों कि उनकी लागत और कीमत संबंधी सूचना ली जा सकती है, निर्दिष्ट प्राधिकारी अलग-अलग पाटन मार्जिन के दावे को अस्वीकार करेंगे।
 - ii. यदि चीन जन.गण. के उत्पादक/निर्यातक यह सिद्ध नहीं कर पाते हैं कि उनकी लागत और कीमतें विश्वसनीय हैं, उनकी घरेलू लागत और कीमत को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उत्पादकों और निर्यातकों की इस तथ्य को दर्शाने कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों में कार्य कर रहे हैं, में असफल होने को देखते हुए, सामान्य मूल्य का निर्धारण इस नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए।
 - iii. चूंकि कोई सत्यापन योग्य साक्ष्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में विभिन्न प्रकारों के संबद्ध वस्तुओं की कीमतों अथवा संरचित मूल्य अथवा तीसरे देश से अन्य देश तक आयात के लिए संग्रह की जा सकती है, आवेदकों ने विधिवत समायोजित तथा बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक खर्च तथा उचित लाभ मार्जिन को जोड़ने के बाद घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया।
 - iv. पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम से अधिक है बल्कि संबद्ध देश के लिए अधिक भी है।
 - v. किसी भी निर्यातक अथवा आयातक/प्रयोक्ता ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है और इस कारण से उसे असहयोगी माना जाना चाहिए। इसके अलावा इन पक्षकारों को ऐसे विलंबित चरण में पाटन मार्जिन गणना के संबंध में कोई सूचना देने के लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अतः चीन जन.गण. के निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण एसजीएंडए खर्च और उचित लाभ को जोड़ने के बाद भारत में विधिवत समायोजित भुगतान योग्य कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए।
 - vi. चीन के उत्पादकों/निर्यातकों ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है और उसके द्वारा यह सिद्ध करने में असफल रहे हैं कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां आरोहण नवाचार के अनुच्छेद 15(क) (i) के अंतर्गत यथा-अपेक्षित उद्योग में प्रचलित है।

- vii. चीन की जनतांत्रिक गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए इलेक्ट्रिक इन्सुलेटर के आयातों के संबंध में एसएसआर जांच में अंतिम जांच परिणाम पर भरोसा किया गया है (मामला संख्या 7/44/2018-डीजीटीआर), जिसने यह माना था कि चीन के उत्तर देने वाले निर्यातकों के नहीं रहने की स्थिति में, सामान्य मूल्य की गणना इस नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। अतः पाटन मार्जिन उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया जाना अपेक्षित है।

छ.3 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

33. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- 11 दिसंबर, 2016 के बाद चीन को एनएमई बर्ताव के लिए कोई आधार नहीं है। इस कारण से प्राधिकारी को सामान्य मूल्य की गणना करने के वास्ते “प्रतिनिधिक देश” पद्धति का उपयोग नहीं करना चाहिए। उसका समर्थन फास्टनर्स मामले में एबी रिपोर्ट में नवाचार के अनुच्छेद 15(क) और 15(ख) के बीच कानूनी संबंध की व्याख्या द्वारा समर्थित नहीं है।
 - किसी भी पक्षकार को घरेलू कानून का उदाहरण देते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत दायित्व से नहीं बचना चाहिए। चीन को विश्व व्यापार संगठन के ढांचे के अंतर्गत विभिन्न अधिकार दिए जाने का हक है। 15 वर्षों की अंतिम तारीख के महत्व को यूएस और ईयू द्वारा भी साझा किया गया था। चीन को एनएमई बर्ताव देने संबंधी घरेलू कानूनों का 15 वर्ष की अंतिम समय सीमा के बाद कोई संगतता नहीं है।
 - चीन को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया जाना चाहिए। कम से कम, कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए लागतों और कीमतों के संबंध में आंकड़ों को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए लागू किया जाना चाहिए।

छ.4 प्राधिकारी द्वारा जांच

34. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी जिसमें उन्हें सलाह दी गई थी कि वे प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रूप में और तरीके से सूचना उपलब्ध कराएं। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने इस जांच में सहयोग नहीं किया है और निर्धारित प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।

चीन उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा

35. डब्ल्यूटीओ में चाइनीज एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

“जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद VI, टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 (“पाटनरोधी करार”) के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार एक डब्ल्यूटीओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों की संलिप्तता की कार्यवाहियों में लागू होंगे जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- (क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद- VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:
- (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
- (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

- (ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।
- (ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।
- (घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क) (II) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"
36. यह नोट किया जाता है कि जबकि अनुच्छेद 15 (क) (II) में निहित प्रावधान 11-12-2016 को समाप्त हो गया है, प्रवेश नवाचार के 15 (क) (I) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित विश्व व्यापार संगठन के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान में बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जा का दावा करने के लिए पूरक प्रश्नावली में दिए जाने हेतु सूचना/आंकड़ों के माध्यम से संतुष्ट किए जाने के लिए भारत की नियमावली के अनुबंध I के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड अपेक्षित हैं। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जन.गण. के संबद्ध वस्तुओं के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने इस जांच में सहयोग नहीं किया है, अतः सामान्य मूल्य की गणना इस नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।
37. चूंकि चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में नियमावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, अतः सामान्य मूल्य का निर्धारण इस नियमावली के अनुबंध-I का पैरा 7 के अनुसार किया गया है, जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाता है:
- गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।
38. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में इस उत्पाद की कीमतों अथवा संरचित मूल्य या ऐसे बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से अन्य देश को विभिन्न कलैंपिंग फोस के आधार पर आयात कीमत न तो आवेदक अथवा किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है और न ही वह प्राधिकारी के पास किसी किसी सार्वजनिक स्रोत से उपलब्ध है। इस कारण से, संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण विधिवत् समायोजित तथा बिक्री, सामान्य और

प्रशासनिक खर्च एवं उचित लाभ मार्जिन को जोड़ने के बाद घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के आधार पर किया गया है। इस प्रकार से निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

छ.5 निर्यात कीमत का निर्धारण

39. चूंकि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने इस वर्तमान जांच में सहयोग नहीं किया है अतः चीन जन.गण. से सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण इस नियमावली के नियम 6(8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार किया गया है।

छ.6 पाटन मार्जिन

40. ऊपर में दिए गए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत, पर विचार करते हुए संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के लिए सभी उत्पादकों/निर्यातकों के पाटन मार्जिन नीचे दिए गए अनुसार निर्धारित है। इसके अलावा, सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को कलैपिंग फोर्स-वार पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए तुलनीय कलैपिंग फोर्स के लिए लिया गया है और उसके बाद, इसका भारित औसत लिया गया है। नीचे दी गई तालिका संबद्ध आयात मात्राओं पर विचार करते हुए भारित औसत का प्रतिनिधित्व करता है:

पाटन मार्जिन तालिका

उत्पादक	सामान्य मूल्य (प्रति मशीन लाख रु.)	निर्यात कीमत (प्रति मशीन लाख रु.)	पाटन मार्जिन (प्रति मशीन लाख रु.)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन रेंज (%)
चीन जन.गण. के सभी उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	50-60

ज. क्षति का निर्धारण और क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच के लिए पद्धति

ज.1 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

41. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के विश्लेषण के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- जांच की अवधि में अप्रैल 2020 – सितंबर, 2020 की अवधि शामिल है जो कोविड-19 के द्वारा प्रभावित हुई थी, यह अनुरोध किया जाता है कि क्षति का विश्लेषण या तो अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 तक की अवधि के लिए अथवा अप्रैल, 2019 से सितंबर, 2020 तक की जांच की संपूर्ण अवधि के लिए क्षति मापदंडों की जांच करते हुए की जानी चाहिए।
 - संबद्ध आयातों में मांग में गिरावट, कोविड-19 के प्रभाव और पाटनरोधी शुल्क के मौजूद रहने के बावजूद पूर्ण रूप में और सापेक्ष रूप में वृद्धि हुई है।
 - संबद्ध आयातों में 2019-20 के और जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है, उनका ह्रास हो रहा है और कम कीमत पर बिक्री हो रही है।
 - घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में 2018-19 तक वृद्धि हुई और उसके बाद उसमें गिरावट आई। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 2017-18 में गिरावट आई उसके बाद वह स्थिर रहा जबकि आयातों के लिए बाजार हिस्से में 2019-20 और जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।
 - घरेलू उद्योग को 2019-20 में लाभप्रदता, नकद लाभ और जांच की अवधि में गिरावट हुई तथा जांच की अवधि में वित्तीय हानि, नकारात्मक पीबीआईटी और लगाई गई पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल देखना पड़ा। मालसूची में

2019-20 और जांच की अवधि सहित क्षति की पूरी अवधि में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के विकास ने सभी प्रमुख क्षति संबंधी मापदंडों पर नकारात्मक वृद्धि दर्ज की और पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता बहुत अधिक हद तक कमजोर हो गई।

- vi. जबकि आयातों की मात्रा में बहुत अधिक हद तक गिरावट आई और कार्य-निष्पादन मापदंडों में मूल जांच में शुल्कों को लगाए जाने के बाद सुधार हुआ। वर्तमान जांच में, मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के बावजूद, निर्यात मापदंडों की स्थिति खराब होना जारी रही।
- vii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है कि संबद्ध आयातों में वृद्धि और घरेलू उद्योग को क्षति को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। घरेलू उद्योग का वित्तीय विवरण कंपनी द्वारा उत्पादन किए गए उत्पादों के लिए घरेलू और निर्यात दोनों को शामिल करते हुए इसके समग्र प्रचालन का उल्लेख करता है।
- viii. हाइटियान हुआयुआन मशीनरी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, जो चीन जन.गण. में हाइटियान प्लास्टिक्स मशीनरी ग्रुप कंपनी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है, संबद्ध आयात का निर्माण करने में नहीं लगी हुई है बल्कि वह अपनी मूल कंपनी से विचाराधीन उत्पाद के सेमि-नॉकडाउन अथवा पूर्ण रूप से नॉकडाउन रूप में संबद्ध वस्तुओं के आयातों का उपयोग करते हुए इस उत्पाद की असेम्बलिंग करने में लगा हुआ है, जिसे उनकी उच्च कच्चा माल शेयर और कम कर्मचारी और ह्रास लागत से देखा जा सकता है।
- ix. ताइवान से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं होती है क्योंकि चीन जन.गण. से निर्यात कीमत कलैपिंग-वार तुलना पर प्रायः सभी आयातों के लिए ताइवान से किए गए आयातों की तुलना में कम हैं।
- x. यद्यपि, कोविड-19 ने घरेलू उद्योग को मुश्किल हालत में छोड़ दिया, संबद्ध आयातों के कारण क्षति हुई है, जैसाकि क्षति की अवधि और वर्ष 2019-20 जब कोविड-19 का प्रभाव नहीं था, के लिए क्षति मापदंडों संबंधी विश्लेषण से देखा जा सकता है। मांग में गिरावट ने आयातों की मात्रा को प्रभावित नहीं किया है, जिसमें वास्तव में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, मांग में वृद्धि के बावजूद वर्ष 2018-19 में और 2019-20 में जब कोविड-19 का प्रभाव नहीं था, मालसूची में तीव्र वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि मालसूची में वृद्धि, मांग में गिरावट अथवा कोविड-19 के प्रभाव का एकमात्र कारण नहीं हो सकता है।
- xi. घरेलू उद्योग को क्षति एनएफए, कार्यशील पूंजी अथवा कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि के कारण नहीं हुई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग को लगाई गई पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल मिला है जो यह दर्शाता है कि प्रतिवादी का यह तर्क कि निवल निर्धारित परिसंपत्तियों और कार्यशील पूंजी में वृद्धि क्षति का नहीं होना दर्शाता है, भ्रामक है। इसके अलावा, यह भी पहले अनुरोध किया गया है कि कर्मचारियों की संख्या पाटन के प्रभाव को नहीं दर्शाता है। लगाई गई पूंजी में वृद्धि घरेलू उद्योग द्वारा इन-हाउस उत्पादन के साथ जॉब-वर्क को प्रतिस्थापित करने के लिए किए गए निवेशों के कारण है।
- xii. घरेलू उद्योग कोविड-19 के कारण ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मंदी के प्रभाव से इंकार नहीं करता है, हालांकि संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई है जिससे यह इन कारकों से जोखिम की स्थिति में आ गया है। इसके अलावा, यह भी नोट किया जाना है कि इस नियमावली नियम 11(2) के अंतर्गत अपेक्षा इस तथ्य को आवश्यक नहीं बनाता है कि संबद्ध आयात घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई क्षति का एकमात्र कारण हो। यह आरोप कि घरेलू उद्योग को आंतरिक समस्याओं का सामना करना पड़ा है, आधारहीन है और इसकी पुष्टि नहीं की गई है।
- xiii. मिलाक्रोन द्वारा किए गए प्रस्तावित 30 मिलियन डॉलर के निवेश से संबंधित समाचार को कम मांग के कारण रोक लिया गया था। अतः घरेलू उद्योग द्वारा कोई अतिरिक्त पूंजी/राजस्व लागत की हानि नहीं उठाई गई है।

ज.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

42. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के विश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - i. पीएमएमआई ने आयातों में वृद्धि को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है और घरेलू उद्योग को क्षति का एक तरीका निकाला। वास्तव में संबद्ध आयातों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। पीएमएमआई के दावे प्रकाशित सूचना के विपरीत हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि ये घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने के लिए बनाए गए हैं।

- ii. यह शुल्क जांच की अवधि के दौरान तथा पिछले दस वर्षों के दौरान चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं पर पहले से ही मौजूद है। अतः वर्तमान जांच व्यावहारिक रूप से एक एसएसआर जांच है। यह अनुरोध किया जाता है कि इस शुल्क के फलस्वरूप, संबद्ध आयातों में गिरावट आई है और इसने अपना उद्देश्य पूरा किया है और इस कारण से भविष्य में यह आवश्यक नहीं है।
- iii. संबद्ध आयातों के कारण, घरेलू उद्योग को कोई मात्रा की क्षति नहीं हो रही है। मांग के बड़े हिस्से की पूर्ति केवल घरेलू उद्योग द्वारा की जाती है। प्राधिकारी को इस तथ्य की जांच करनी चाहिए कि क्या अन्य भारतीय उत्पादकों, जिनके हिस्से में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है, के कारण क्षति हुई है। चीन जन.गण. से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को जांच की अवधि (वार्षिकीकृत) के दौरान क्षति नहीं हुई है। संबद्ध वस्तुओं की मांग में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है और संबद्ध आयात जांच की अवधि के दौरान भारत में कुल मांग का केवल *** प्रतिशत था।
- iv. संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत में वृद्धि घरेलू कीमत में वृद्धि की तुलना में अधिक है। इस कारण से कीमत क्षति नहीं हो सकती है। कीमत में कटौती भी नकारात्मक है।
- v. जांच की अवधि (वार्षिकीकृत) में उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री में गिरावट का कारण कोविड-19 महामारी और न कि संबद्ध आयात जिसे वर्ष 2019-20 के लिए मिलाक्रोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वित्तीय विवरण में दिया गया है। संबद्ध वस्तुओं के पाटन अथवा आयात में वृद्धि का कोई उल्लेख नहीं है।
- vi. जांच की अवधि के दौरान घरेलू बिक्री/निर्यात बिक्री में अचानक गिरावट दिए गए आंकड़ों की प्रमाणिकता के बारे में संदेह उत्पन्न करता है।
- vii. कोविड-19 के कारण मांग में गिरावट के फलस्वरूप औसत भंडार का संचयन हुआ है। भंडार में वृद्धि का विश्लेषण कुल उत्पादन और बिक्री के साथ किया जाना चाहिए।
- viii. प्रमुख बाजार हिस्सा घरेलू उद्योग के पास है। संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में मामूली रूप से वृद्धि हुई, जबकि अन्य भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्से तेजी से वृद्धि हुई। आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में अन्य भारतीय उत्पादक के हिस्से में वृद्धि घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने का कारण हो सकता है।
- ix. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और प्रतिफल में गिरावट पाटन अथवा आयातों में वृद्धि के कारण नहीं हुई है। कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि निवल निर्धारित परिसंपत्ति और कार्यशील पूंजी में भी वृद्धि हुई है। संस्थापित क्षमताओं में वृद्धि नहीं होने के बावजूद लगाई गई पूंजी में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि वे उसकी जांच करें।
- x. यूएस-हॉट रोलड स्टील में अपीलीय निकाय ने यह माना कि जांच करने वाले प्राधिकारी अन्य ज्ञात कारकों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को अलग करना चाहिए और उसमें अंतर स्थापित करना चाहिए। इस कारण से, प्राधिकारी को अन्य कारकों के प्रभाव, प्रभाव की सीमा की जांच करनी चाहिए और विस्तृत विश्लेषण करना चाहिए।
- xi. घरेलू उद्योग संबद्ध आयातों के अलावा अनेक मुद्दों का समाधान करने में असफल हुआ है। उनमें ऑटोमोटिव क्षेत्र में धीमी बाजार वृद्धि, संयंत्रों की अनियोजित शटडाउन, आंतरिक समस्याएं और कोविड-19 का प्रभाव शामिल है।
- xii. मिलाक्रोन भारत में दूसरा कारखाना बनाने में निवेश कर रहा है। घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन इस दीर्घ अवधि निर्माण परियोजना के कारण प्रभावित हो सकता है। प्राधिकारी को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या नई परियोजना के लिए ऐसी पूंजी/राजस्व लागत वर्तमान प्रचालनों में दर्शाया गया है। नए निवेश के कारण हानि के लिए संबद्ध आयातों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

ज.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

43. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों और प्रति तर्कों पर विचार किया है। प्राधिकारी द्वारा इसमें नीचे दिया गया क्षति विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का निवारण करता है।
44. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में “... पाठित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों

पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ...” घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है।

45. घरेलू उद्योग और अन्य हितवद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति, और कारणात्मक संबंध के बारे में जांच की प्रक्रिया के दौरान किए गए अनुरोधों और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोधों की जांच और उनका निवारण नीचे दिए गए अनुसार किया गया है।

ज.3.1 मांग का आकलन

46. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से भारत में इस उत्पाद की स्पष्ट खपत अथवा मांग पर सभी स्रोतों से आयातों और भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री के योग के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार से आकलित मांग नीचे तालिका में दी गई है।

विवरण	यूओएम	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
संबद्ध देश चीन	संख्या	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	130	135	213	142
अन्य देश	संख्या	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	174	92	61
घरेलू उद्योग की बिक्री	संख्या	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	130	136	91
समर्थकों की बिक्रियां	संख्या	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	132	135	90
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	संख्या	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	210	220	253	169
कुल मांग	संख्या	3,774	4,905	5,640	5,718	3,812

47. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग में 2018-19 तक वृद्धि हुई है और जांच की अवधि (वार्षिकीकृत) में उसमें गिरावट आई। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया कि जांच की अवधि (वार्षिकीकृत) में मांग में यह गिरावट ऑटो उद्योग में मंदी और कोविड-19 के कारण हुई है। हालांकि, जांच की अवधि (वार्षिकीकृत) में संबद्ध आयातों की मांग में आधार वर्ष से तुलना किए जाने पर वृद्धि हुई है।

ज.3.2 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

48. संबद्ध देश से पाटित आयातों और अन्य देशों से आयातों की मात्रा के प्रभाव की जांच प्राधिकारी द्वारा नीचे दिए गए अनुसार की गई है। आयात के प्रभाव का मूल्यांकन मूल्य में किया गया है क्योंकि अलग-अलग कलैपिंग फोर्सेस के विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में बहुत अधिक अंतर है और संख्या के मामले में बाजार हिस्से का निर्धारण सही तस्वीर नहीं प्रस्तुत कर सकता है।

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)
घरेलू उद्योग की बिक्री	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	142	141
अन्य उत्पादकों की बिक्री	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	125	147
चीन से आयात	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	169	180
अन्य देशों से आयात	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	176	112
कुल	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	147	140
मांग में बाजार हिस्सा					
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	96	100
समर्थकों सहित अन्य उत्पादक	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	85	105
चीन से आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	115	128
अन्य देशों से आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	120	80
कुल	%	100.00	100.00	100.00	100.00

49. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध आयातों की मात्रा में क्षति की समग्र अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर जो पाटनरोधी शुल्क लागू थे, उसके बावजूद क्षति की अवधि और जांच की अवधि में पूर्ण रूप में संबद्ध आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। संबद्ध आयातों में पिछले तथा आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि (वार्षिकीकृत) के दौरान भारत में खपत की तुलना में वृद्धि भी हुई है। यहां तक कि मशीनों की संख्या के संदर्भ में भी, संबद्ध देश से आयातों में वृद्धि, क्षति जांच अवधि के दौरान स्थिर हैं।

ज.3.3 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

50. इस नियमावली के अनुबंध II(ii) के संदर्भ में, प्राधिकारी से ये अपेक्षित है कि वे कीमत में कटौती, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में घरेलू कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करें।

i. कीमत में कटौती

51. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में महत्वपूर्ण कटौती हुई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को एक महत्वपूर्ण डिग्री तक कम करने या कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा एक महत्वपूर्ण डिग्री तक होता है। कीमत कटौती को पीयूसी क्लेपिंग फोर्स-वार के लिए पीओआई हेतु निर्धारित किया गया है और तत्पश्चात संबद्ध आयात मात्राओं का प्रयोग करके भारत औसत लेकर समग्र रूप से विचाराधीन उत्पाद के लिए निर्धारित किया गया है। इस प्रयोजनार्थ आयातों की पहुंच कीमत विभिन्न प्रकार की मशीनों के क्लेपिंग फोर्स-वार आयातों पर विचार करते हुए निर्धारित की गई है। इसके अलावा, आयात कीमत और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के बीच उचित तुलना सुनिश्चित करने के लिए घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत तुलनीय पीसीएन के लिए विचारित की गई है। भारत औसत कीमत कटौती मशीनों के क्लेपिंग फोर्स वार कीमत कटौती और उनकी संबद्ध आयात मात्राओं पर विचार करते हुए निर्धारित की गई है। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत संबद्ध आयात मात्राओं पर विचार करते हुए नीचे दर्शायी गई है। सारांश स्थिति निम्नानुसार है :

मापदंड	यूओएम	पीओआई
भारित औसत पहुंच कीमत	रु. लाख/संख्या	***
मशीन क्लेप फोर्स-वार संबद्ध आयात मात्राओं पर विचार करते हुए भारत औसत बिक्री कीमत	रु. लाख/संख्या	***
कीमत कटौती	रु. लाख/संख्या	***
कीमत कटौती	श्रेणी	40-50

यह नोट किया जाता है कि संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में भारी कटौती हो रही है।

ii. कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

52. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों में ह्रास या न्यूनीकरण कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों में अत्यधिक कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा काफी बढ़ गई होती, प्राधिकारी क्षति अवधि के दौरान लागत और बिक्री कीमत में परिवर्तनों को नोट करते हैं। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की भारत औसत बिक्री लागत और बिक्री कीमत को घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री मात्राओं पर विचार करते हुए ज्ञात किया गया है। स्थिति निम्नांकित तालिकानुसार दर्शायी गई है :

मापदंड	यूओएम	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
बिक्री की भारत औसत लागत	रु. लाख/संख्या	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	103	110	111	111
भारित औसत बिक्री कीमत	रु. लाख/संख्या	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	104	109	104	104

53. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वृद्धि हुई है। तथापि, घरेलू उद्योग लागत में वृद्धि के अनुपात में अपनी कीमतें बढ़ाने में असमर्थ था जिसकी वजह से कीमत ह्रास हुआ।

ज.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर प्रभाव

54. इस नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुपरक जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, इस नियमावली में आगे यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों जिसका इस उद्योग की स्थिति जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिफल अथवा क्षमता का उपयोग शामिल है; घरेलू कीमतों, पाटन के मार्जिन का आकार; नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव को प्रभावित करने वाले कारकों का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों की चर्चा इसमें नीचे की गई है।

i. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

55. प्राधिकारी ने क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री पर विचार किया है और वे निम्नानुसार नोट करते हैं:

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
संस्थापित क्षमता	संख्या	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	150	100
उत्पादन	संख्या	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	130	136	91
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	128	91	91
घरेलू बिक्री	संख्या	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	130	136	91

56. यह नोट किया जाता है कि –

- क. घरेलू उद्योग की क्षमता क्षति की पूरी अवधि और जांच की अवधि के दौरान स्थिर रही है।
- ख. घरेलू उद्योग के उत्पादन में 2018-19 तक वृद्धि हुई, लेकिन जांच की अवधि में इसमें बहुत अधिक हद तक गिरावट आई है।
- ग. घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री भी उसी प्रवृत्ति का अनुसरण करता है क्योंकि इनमें भी 2018-19 तक वृद्धि हुई है और इन्होंने जांच की अवधि (वार्षिकीकृत) में बहुत अधिक गिरावट दर्ज की।
- घ. घरेलू उद्योग के उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग में आधार वर्ष तथा पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है।

i. मांग में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा

57. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से की जांच निम्नानुसार की गई है:

मांग में बाजार हिस्सा	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	96	100

समर्थक सहित अन्य उत्पादक	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	85	105
संबद्ध देश चीन से आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	115	128
अन्य देशों से आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	120	80
कुल	%	100	100	100	100

58. घरेलू उद्योग के बाजार अंश में वर्ष 2017-18 में वृद्धि हुई, उसके बाद वर्ष 2018-19 में गिरावट आई और जांच की अवधि (वार्षिक) में मामूली सुधार आया है। दूसरी ओर, संबद्ध आयातों के बाजार अंश में जांच की अवधि (वार्षिक) में वृद्धि हुई है और यह समग्र क्षति अवधि में जांच की अवधि के दौरान अधिकतम रही है।

ii. मालसूची

59. संबद्ध वस्तुओं की मालसूची से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:

मापदंड	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
प्रारंभिक भंडार	संख्या	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	25	50	575	375
अंतिम भंडार	संख्या	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	200	2,300	400	300
मालसूची	संख्या	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	67	433	467	467

60. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास मालसूची में आधार वर्ष और पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि (वार्षिकीकृत) में बहुत हद तक वृद्धि हुई है।

iii. लाभ, नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल

61. घरेलू उद्योग के क्षति की अवधि के दौरान लाभ, नकद लाभ, पीवीआईटी और निवेश पर प्रतिफल नीचे तालिका में दिया गया है

मापदंड	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
लाभ/हानि	लाख रु./संख्या	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	124	96	-18	-18
लाभ/हानि	लाख रु.	***	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	142	125	-24	-16
पीबीआईटी	लाख रु.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	142	125	-24	-16
नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	176	167	97	64
लगाई गई पूंजीपर प्रतिफल	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	118	78	-12	-12

62. यह देखा गया है कि:

- क. घरेलू उद्योग के लाभ में 2017-18 तक वृद्धि हुई है, 2018-19 में गिरावट आई है और आगे जांच की अवधि (वार्षिकीकृत) में नकारात्मक स्तर तक गिरावट आई है। वही प्रवृत्ति पीबीआईटी और निवेश पर प्रतिफल में देखा गया है।
- ख. उसी प्रकार से, घरेलू उद्योग के नकद लाभ में 2017-18 तक वृद्धि हुई, 2018-19 में गिरावट आई और आगे जांच की अवधि (वार्षिकीकृत) में बहुत अधिक हद तक गिरावट आई और वह आधार वर्ष की तुलना में कम है।
- ग. घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि में वित्तीय हानियों और निवेशों पर नकारात्मक प्रतिफल का सामना किया है।
- iv. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

63. घरेलू उद्योग की स्थिति रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में नीचे दी गई है:

मापदंड	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	110	114	114
मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	124	145	209	140
प्रति कर्मचारी मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	129	143	129	129
प्रति दिन उत्पादकता	संख्या	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	112	130	91	91

64. यह नोट किया जाता है कि कर्मचारियों की संख्या में आधार वर्ष और पिछले वर्षों की तुलना में जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। हालांकि, भुगतान की गई मजदूरी में 2018-19 तक वृद्धि हुई है और उसमें जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है।

v. वृद्धि

65. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के वृद्धि मापदंडों की जांच नीचे दर्शाई गई है:

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
उत्पादन	संख्या	-	12.19	15.45	-29.91
घरेलू बिक्री	संख्या	-	14.52	13.45	-30.31
लाभ/हानि	रु./सं.	-	24.12	-22.62	-118.49
लाभ/हानि	लाख रु.	-	42.14	-12.22	-112.88
ब्याज और कर पूर्व लाभ	लाख रु.	-	42.00	-12.30	-112.75
नकद लाभ	लाख रु.	-	76.32	-5.55	-61.29
लगई गई पूंजी पर प्रतिफल	%	-	17.45	-33.92	-114.84

66. जहां तक हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग को क्षति कर्मचारियों में वृद्धि होने के कारण से है, यह नोट किया जाता है कि प्रति कर्मचारी वेतन और भुगतान किए गए कुल वेतन में, विगत वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है। अतः कर्मचारियों में वृद्धि क्षति का कोई कारण नहीं हो सकती क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा विगत वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान, जांच की अवधि (वार्षिक) में वेतन पर कम धनराशि खर्च की गई है।

vi. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

67. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू कीमतें देश में पाटित आयातों के मौजूद रहने के कारण प्रभावित हुई हैं।

vii. नई पूंजी जुटाने की क्षमता

68. घरेलू उद्योग के समक्ष वित्तीय हानियों, नकारात्मक पीबीआईटी और नकारात्मक प्रतिफल समस्या के कारण, पूंजीगत निवेश जुटाने की उसकी क्षमता काफी कमजोर हुई है।

viii. पाटन का आकार

69. यह नोट किया जाता है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है और पाटन मार्जिन सकारात्मक और अधिक है।

झ. क्षति के संबंध में निष्कर्ष

70. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों में निरपेक्ष संदर्भ में और भारत में खपत के संदर्भ में वृद्धि हुई है, बावजूद इसके कि पाटनरोधी शुल्क, जो पहले पूरी क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों पर लागू था। संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत, जांच की अवधि (वार्षिक) में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है। संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास हो रहा है। घरेलू उद्योग का समग्र कार्य-निष्पादन उत्पादन, बिक्रियों और क्षमता उपयोग के संदर्भ में कम हुआ है। घरेलू उद्योग जांच की अवधि (वार्षिक) में वित्तीय हानियों और निवेश पर नकारात्मक प्रतिफल का सामना कर रहा है। अतः प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग ने पर्याप्त क्षति का सामना किया है।

I. कारणात्मक संबंध गैर-आरोपण विश्लेषण

71. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी से अन्य बातों के साथ-साथ पाटित आयातों के अलावा किसी अन्य ज्ञात कारकों की जांच की जानी अपेक्षित है, जो उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं ताकि इन अन्य कारकों के कारण हुई क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। वे कारक जो इस संबंध में संगत हो सकते हैं, में अन्य बातों के साथ-साथ पाटित कीमतों पर न बेची गई आयातों की मात्रा और कीमत, मांग में संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य-पद्धतियां और उनके बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी का विकास और घरेलू उद्योग की उत्पादकता और निर्यात कार्य-

निष्पादन शामिल है। नीचे यह जांच की गई है कि क्या आयातों को छोड़कर अन्य कारकों का घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने में योगदान हो सकता था।

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

72. प्राधिकारी नोट करते हैं कि तीसरे देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात या तो (क) मामूली मात्रा में अथवा (ख) उच्चतर कीमतों पर हुए हैं और इस कारण से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचा रहा है।

ख. मांग में संकुचन और/अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन

73. संबद्ध वस्तुओं की मांग में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि (वार्षिकीकृत) में वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मंदी और कोविड-19 के कारण हुई है। यद्यपि इन कारकों से घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, लेकिन घरेलू उद्योग पर संबद्ध देश से पाटित आयातों की बढ़ती मात्रा के चलते काफी बुरा प्रभाव पड़ा है।

ग. घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य-निष्पादन

74. यह नोट किया जाता है कि क्षति का विश्लेषण घरेलू कार्य-निष्पादन के आधार पर है। अतः यह क्षति घरेलू उद्योग के निर्यात कार्य-निष्पादन के कारण नहीं हुई है।

घ. प्रौद्योगिकी का विकास

75. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और इस कारण से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती थी।

ड. कंपनी के अन्य उत्पादों का कार्य-निष्पादन

76. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने अलग-अलग उत्पादों के संबंध में अपने कार्य-निष्पादन को अलग अलग किया है। अन्य उत्पादों, जिनका उत्पादन और बिक्री घरेलू उद्योग द्वारा किया जा रहा है, का कार्य-निष्पादन क्षति, यदि कोई हो, का कारण नहीं है।

च. व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य-पद्धतियां और विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

77. संबद्ध वस्तुओं के आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं हैं और उनका इस देश में स्वतंत्र रूप से आयात किया जा सकता है। घरेलू उत्पादक संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत से प्रतिस्पर्धा करते हैं। घरेलू उद्योग की कीमत पर संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत का काफी हद तक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा यह बतलाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों में कोई परिवर्तन हुआ है।

ट. कारणात्मक संबंध को स्थापित करने वाले कारक

78. प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को ऊपर सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों की वजह से क्षति नहीं हुई है।
79. अतः प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

ख. क्षति मार्जिन का आकर

80. प्राधिकारी ने यथा-संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद के एनआईपी का निर्धारण जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ा लेकर किया गया है। अलग-अलग एनआईपी का निर्धारण कलैपिंग फोर्स पर आधारित विभिन्न उत्पाद प्रकारों के लिए किया गया है। इस प्रकार से गणना की गई एनआईपी पर भारित औसत क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए संबद्ध देश से कलैपिंग फोर्स-वार पहुंच कीमत से तुलना करने के लिए की गई है। एनआईपी का निर्धारण करने के लिए, क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल की सबसे अधिक उपयोगिता पर विचार किया गया है। वह निरूपण यूटिलिटी के साथ किया गया है। क्षति की अवधि के दौरान, उत्पादन क्षमता के सर्वश्रेष्ठ उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी असाधारण अथवा गैर-आवर्ती खर्च उत्पादन की लागत में नहीं जोड़ा गया था। विचाराधीन

उत्पाद के लिए लगाई गई औसत पूंजी (औसत निवल निर्धारित परिसंपत्ति जमा औसत कार्यशील पूंजी) पर उचित प्रतिफल (22 प्रतिशत की दर से कर पूर्व) की अनुमति इस नियमावली के अनुबंध-III में यथानिर्धारित क्षति रहित कीमत तय करने के लिए कर-पूर्व की अनुमति दी गई थी और उसका अनुसरण किया जा रहा है।

81. ऊपर में निर्धारित रहित कीमत और पहुंच कीमत की तुलना प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन (पीयूसी) क्लैपिंग फोर्स-वार के लिए की गई है। प्राधिकारी द्वारा उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्लैपिंग फोर्स-वार निर्धारित क्षति मार्जिन का भारित औसत नीचे तालिका में दिया गया है:

क्षति मार्जिन तालिका

उत्पादक	क्षतिरहित कीमत (लाख रु. प्रति मशीन)	पहुंच कीमत (लाख रु. प्रति मशीन)	क्षति मार्जिन (लाख रु. प्रति मशीन)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन रेंज (%)
चीन जन.गण. के सभी उत्पादक/निर्यातक	***	***	***	***	35-45

ड. प्रकटन विवरण के उपरांत टिप्पणियां

82. प्राधिकारी ने मामले के अनिवार्य तथ्यों को प्रकट करते हुए और सभी हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए दिनांक 4 फरवरी, 2022 को एक प्रकटीकरण विवरण जारी किया। प्रकटीकरण विवरण के उपरांत हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। अधिकांश मामले, जो प्रकटीकरण विवरण के उपरांत की टिप्पणियों में दर्शाए गए हैं, पहले ही उठाए जा चुके हैं और उन पर उपरोक्त जांच परिणामों में उपयुक्त रूप से विचार किया जा चुका है।

ड.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

83. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- क. विचाराधीन उत्पाद के उत्पाद टाइप की पहचान करने के लिए क्लैपिंग फोर्स एकमात्र मापदंड है, जो डीजीसीआई ऐंड एस के आंकड़ों, संबद्ध देश के उत्पादकों से असहयोग, सामान्य उद्योग की वैश्विक प्रक्रिया और प्राधिकारी की विगत की प्रथा से पहचाने जाने वाले मापदंडों पर विचार करते हुए वर्तमान जांच के लिए उपयुक्त हैं।
- ख. प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि वे सीपीएमआईए और एआईपीएमए को “हितबद्ध पक्षकार” के रूप में नहीं माने और इस प्रकार उनके अनुरोध को रिकॉर्ड पर न लिया जाए क्योंकि अन्य एसोसिएशनों की तुलना में आवेदक एसोसिएशन पर अतिरिक्त भार पड़ेगा और कानूनी अपेक्षाओं की अनुपालना न होने की एक खराब प्रथा स्थापित होगी।
- ग. प्राधिकारी ने अपनी आपत्तियों में स्पष्ट किया है कि मात्रा संबंधी प्रभाव की जांच करने के लिए अनेक मशीनों का प्रयोग, विभिन्न मशीनों के विभिन्न टन भार और मूल्यों को देखते हुए अनुपयुक्त है। वास्तव में, चीन के कुछ उत्पादकों ने अपने उत्पादन और बिक्रियों के आंकड़ों में केवल सामानता और समतुल्यता के लिए एक विशेष टन भार के संदर्भ में विभिन्न टन भार की विभिन्न मशीनों की मात्रा को व्यक्त करके बताया है। उदाहरण के लिए, 1000 टन और 500 टन के क्लैपिंग फोर्स वाली मशीनें 100 टन के क्लैपिंग फोर्स वाली क्रमशः 10 मशीनों और 5 मशीनों के समान है।
- घ. संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास हो रहा है और उन पर दबाव पड़ रहा है।
- ड. घरेलू उद्योग ने पाटित संबद्ध आयातों के कारण पर्याप्त क्षति का सामना किया है।
- च. पाटनरोधी शुल्क के उद्देश्यों, उपयोक्ताओं/ आयातकों से भागीदारी की कमी, विगत में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के प्रतिकूल प्रभाव और सकारात्मक प्रभाव, अपर्याप्त लागत प्रभाव, जिसकी मात्रा तय की गई है, देश में मांग और आपूर्ति अन्तराल की कमी, ग्राहकों को बिक्रियों के बाद की सेवाओं की जरूरत, अधिक घरेलू प्रतिस्पर्धा,

घरेलू निवेश को समर्थन करने की जरूरत, भारत में प्रयोक्ताओं को समर्थन की जरूरत, सक्रिय घरेलू उद्योग की जरूरत और देश की अर्थव्यवस्था के लिए उद्योग के योगदान पर विचार करते हुए किसी पाटनरोधी शुल्क का उपभोक्ताओं और अधिकतर जनता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है।

ड.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

84. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे प्रकटीकरण विवरण की तरह अन्तिम जांच परिणामों से, सेकेंड हैंड प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनों को बाहर करने की पुष्टि करें।
- ख. सीपीएमआईए और एआईपीएमए के खिलाफ याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध प्राधिकारी को भ्रमित करने मात्र के लिए हैं। निर्यातकों की एसोसिएशन के लिए कोई व्यापार सूचना आवश्यक नहीं है कि वे प्रश्नावली उत्तर दाखिल करें। सीपीएमआईए और एआईपीएमए ने स्वयं को एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत कराया था और क्षति संबंधी अनुरोध दाखिल किए थे। प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार एक सूचना के द्वारा सीपीएमआईए से कोई सूचना नहीं मांगी है। सीपीएमआईए और एआईपीएमए द्वारा किसी जिम्मेदारी को नजरअंदाज नहीं किया गया था। प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि वे सीपीएमआईए और एआईपीएमए द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार करें।
- ग. याचिकाकर्ता का यह अनुरोध कि सीपीएमआईए एक हितबद्ध पक्षकार नहीं है, अनुचित है। सीपीएमआईए ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के संबंध में विगत जांचों में भाग लिया था और उनके तर्कों को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। प्राधिकारी ने विभिन्न चैम्बर्स को विगत में हितबद्ध पक्षकार माना है। इसी प्रकार की समानता सीपीएमआईए के लिए भी लागू होनी चाहिए।
- घ. याचिकाकर्ता का यह अनुरोध कि एआईपीएमए एक हितबद्ध पक्षकार नहीं है, अनुचित है। प्राधिकारी ने कई विगत जांचों में एआईपीएमए को एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में माना है। “60 डेनियर से अधिक के विस्कोस रेयोन फिलामेंट यार्न” के आयातों पर पाटनरोधी जांच के अंतिम जांच परिणामों में एसोसिएशन की एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में भागीदारी के संबंध में जांच परिणाम का संदर्भ लें और उसी प्रकार की समानता को एआईपीएमए के लिए लागू किया जाना चाहिए।
- ड. पीएमएमआई के अनेक सदस्य संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक नहीं हैं और इसीलिए नियमावली के नियम 2 (ग) (iii) के अनुसार एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में नहीं हो सकते। याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 6 सितंबर, 2021 के पत्र के तहत प्रदान की गई सूचना हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा नहीं की गई थी।
- च. क्लैम्पिंग फोर्स को उचित तुलना के लिए मापदंड नहीं माना जाना चाहिए। उसी क्लैम्पिंग फोर्स के लिए चीन की मशीनों की लागत कम और सस्ती है। अतः “टाई बार के बीच के स्थान” का उपयोग मशीन के आकार का निर्धारण करने के लिए किया जाना चाहिए। समान आकार की मशीनों की तुलनात्मक लागत और कीमतें हैं।
- छ. डाउनस्ट्रीम उद्योग के हित अथवा सार्वजनिक हित की, प्रकटीकरण विवरण में जांच नहीं की गई है। पाटनरोधी शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम उद्योग पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे छोटे पैमाने के उद्योगों से संबंधित अन्तिम प्रयोक्ताओं पर भार पड़ेगा। पाटनरोधी शुल्क लगाने से स्टीप इन्फ्लेमेंटरी ट्रेड होगा और प्रतिस्पर्धा में असमानता आएगी।
- ज. हैटियन ने यह अनुरोध किया है कि हैटियन द्वारा प्रस्तुत की गई मशीनें अन्य उत्पादकों की बजाय अधिक गुणवत्ता की और महंगी हैं, और इसीलिए घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती।

ड.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

85. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकांश अनुरोध पुनरावृत्ति की प्रकृति के हैं और इन पर पहले ही उपरोक्त जांच परिणामों में विचार किया जा चुका है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के प्रकटीकरण उपरांत के अनुरोधों की उनके संगत पाए जाने और उन पर अन्यत्र विचार नहीं किए जाने के अनुसार जांच की गई है, जो इस प्रकार है :-

- क. सीपीएमआईए और एआईपीएमए पर वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए “हितबद्ध पक्षकार” के रूप में विचार किए जाने के संबंध में, इन पक्षकारों के अनुरोधों को रिकॉर्ड में लिया गया है। इन एसोसिएशनों के किसी भी सदस्य ने जांच में भाग नहीं लिया है। इन एसोसिएशनों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर, जहां तक ये संगत पाए गए, विचार किया गया है।
- ख. जहां तक हैतियन प्लास्टिक्स मशीनरी ग्रुप कंपनी लिमिटेड द्वारा दाखिल किए गए अनुरोधों का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि यह एक पंजीकृत हितबद्ध पक्षकार नहीं है और इसने प्रकटीकरण विवरण जारी होने की अवस्था तक जांच में भाग नहीं लिया था। न ही उनके द्वारा अभी तक कोई प्रश्नावली उत्तर अथवा कोई अनुरोध दाखिल किया गया है। अब, प्रकटीकरण के उपरांत की अवस्था में, उन्होंने उचित तुलना के लिए मापदंड के रूप में “टाई बार अंतर” पर विचार करने के लिए अनुरोध किया है। तथापि, प्राधिकारी हैतियन प्लास्टिक मशीनरी ग्रुप कंपनी लिमिटेड के अनुरोध को अस्वीकार करते हैं, क्योंकि (1) यह एक नई सूचना है, जो किसी ऐसी संस्था द्वारा दाखिल की गई है। जो कि इस जांच में एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में दर्ज भी नहीं है, (2) यह अनुरोध काफी विलंब की अवस्था में दाखिल किया गया है, अर्थात् प्रकटीकरण विवरण जारी होने के बाद दाखिल किया गया है, (3) इसने अपने तर्क के समर्थन में कोई स्पष्टीकरण/ साक्ष्य प्रदान नहीं किया है। (4) अनुरोधों को गोपनीय होने का दावा किया है और किसी भी मामले में, यह प्रकटीकरण विवरण के उपरांत का अनुरोध होने के कारण, अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए इस अनुरोध में किए गए दावों का खंडन करने के लिए कोई संभावना नहीं थी।
- ग. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि याचिकाकर्ता एसोसिएशन के अनेक सदस्य संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक नहीं हैं, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान याचिका नियमावली के नियम 5 के तहत दाखिल की गई थी, जिसके तहत “घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से” लिखित आवेदन दाखिल किया जाना आवश्यक है। यह निर्विवाद है कि वर्तमान याचिका “घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से” दाखिल की गई है। अतः याचिका पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के तहत विनिर्दिष्ट अपेक्षा को पूरी करती है।
- घ. जहां तक समानता के आधार पर मात्रा व्यक्त करते हुए आयात की मात्रा और बाजार अंश की मात्रा तय करने का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने मूल्य के संदर्भ में उसे व्यक्त करके मात्रा और बाजार अंश निर्धारित किया है।
- ढ. **भारतीय उद्योग के हित और सार्वजनिक हित**
86. प्राधिकारी ने यह विचार किया है कि क्या प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क लगाना सार्वजनिक हित के खिलाफ होगा। यह निर्धारण घरेलू उद्योग, आयातकों और उत्पाद के उपभोक्ताओं सहित विभिन्न पक्षकारों के हितों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना पर विचार किए जाने के आधार पर है।
87. प्राधिकारी ने जांच शुरुआत अधिसूचना जारी की है, जिसमें आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य सहित, सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित किए गए हैं। प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क के संभव प्रभाव सहित संगत सूचना प्रदान करने के लिए प्रयोक्ताओं/ उपभोक्ताओं के लिए भी प्रश्नावली जारी की है। तथापि, किसी भी प्रयोक्ता/ आयातक ने प्रश्नावली उत्तर दाखिल नहीं किया है। यद्यपि, एक आयातक एसोसिएशन नामतः एआईपीएमए ने अनुरोध दाखिल किया है, उसके किसी भी सदस्य ने प्रश्नावली उत्तर दाखिल नहीं किया है। आयातक एसोसिएशन के अनुरोधों को उपरोक्त जांच परिणामों में ध्यान में रखा गया है। एसोसिएशन ने उपभोक्ताओं और व्यापक जनता पर प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क के संभव प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाने के लिए कोई मात्रात्मक और पुष्टियोग्य सूचना प्रदान नहीं की है। अब यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने सत्यापनयोग्य सूचना के साथ, प्रयोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क के किसी प्रतिकूल प्रभाव को स्थापित नहीं किया है। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं पर प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा दर्शाई है और यह केवल 0.0605 प्रतिशत पाया गया है जो कि महत्वपूर्ण नहीं है।
88. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन, सामान्यतः पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं के द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने का है ताकि भारतीय बाजार में एक खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति स्थापित हो सके। पाटनरोधी उपायों को लागू किए जाने से संबद्ध देश से किसी भी तरह से आयातों को प्रतिबंधित करना नहीं है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुएं संबद्ध देशों के बजाय कई देशों में

उत्पादित और भारत में आयात की जा रही है। जांच की अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तुओं का करीब 60 प्रतिशत आयात अन्य देशों से था। पाटनरोधी उपायों को लागू करने से संबद्ध देश से आयात प्रतिबंधित या उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

89. यह माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तुओं का उपयोग करके निर्मित किए जाने वाले उत्पादों का कीमत स्तर प्रभावित हो सकता है और इसके परिणामस्वरूप डाउनस्ट्रीम उद्योग की संगत प्रतिस्पर्धा पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, चूंकि संबद्ध वस्तुएं एक पूंजीगत वस्तु हैं, अतः परिसंपत्ति में लागत वृद्धि परिसंपत्ति की लाभकारी लाइफ के साथ जुड़ी हैं। अतः लागत में वृद्धि है, तो वह अवधि से संबद्ध है और इसका अन्तिम उत्पाद पर प्रभाव पड़ना मामूली है।
90. वास्तव में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट की मौजूदा पाटन प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त अनुचित लाभों को हटाया जा सकेगा और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं के व्यापक विकल्प की उपलब्धता को बनाए रखने में मदद मिलेगी। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास स्वयं की क्षमताएं हैं, जिनसे लगभग समग्र भारतीय मांग को पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा, उत्पाद का उत्पादन और बिक्री देश में अन्य कई घरेलू उत्पादकों द्वारा भी की जाती है, जो आवेदक एसोसिएशन के सदस्य हैं और जिनके चलते भारत में सरप्लस क्षमताएं हैं। इतनी अधिक संख्या में उत्पादक मौजूद होने के कारण घरेलू प्रतिस्पर्धा होनी निश्चित है।
91. इसके अलावा, घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग जांच की अवधि में कम रहा है। घरेलू उद्योग के पास भारतीय बाजार के अधिक हिस्से को पूरा करने की क्षमता थी। तथापि, विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों के कारण, घरेलू उद्योग के समक्ष अप्रयुक्त क्षमताओं की समस्या थी और घरेलू बाजार में काफी कम हिस्सा था, जो अन्यथा इतना कम नहीं होगा।
92. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क समग्र क्षति जांच की अवधि और जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लागू था। इसके बावजूद, न तो किसी हितबद्ध पक्षकार ने शुल्कों को विगत में लागू किए जाने के कारण किसी प्रतिकूल प्रभाव का उल्लेख किया और न ही इसे दर्शाते हुए सार्वजनिक रूप से कोई सूचना उपलब्ध है।
93. इसे देखते हुए, प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटनरोधी शुल्क लगाना सार्वजनिक हित के खिलाफ नहीं होगा।

ग. निष्कर्ष

94. दिए गए तर्कों, किए गए अनुरोधों, प्रदान की गई सूचना और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है और घरेलू उद्योग को पाटन और उसके परिणामस्वरूप क्षति होने के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि :-
 - i. मैसर्स शिबौरा मशीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स मिलाक्रोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नियमावली के नियम 2 (ख) के तहत घरेलू उद्योग में शामिल हैं। इसके अलावा, आवेदन में नियमावली के नियम 5 (3) के संदर्भ में आधार के मापदंड को पूरा किया गया है।
 - ii. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु हैं।
 - iii. चूंकि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के किसी भी उत्पादक/ निर्यातक ने वर्तमान जांच में सहयोग नहीं किया है। अतः सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के सभी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए किया गया है। इस प्रकार से निर्धारित किया गया पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक है और महत्वपूर्ण है।
 - iv. घरेलू उद्योग ने पर्याप्त क्षति का सामना किया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध आयातों में निरपेक्ष संदर्भ में और साथ ही भारतीय खपत के संदर्भ में भी वृद्धि हुई है। संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और कीमतों का ह्रास हो रहा है। घरेलू उद्योग के समग्र निष्पादन में जांच की अवधि (वार्षिक) में उत्पादन, बिक्रियों, क्षमता उपयोग, और विभिन्न लाभ मापदंडों के संदर्भ में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग वित्तीय हानि का सामना कर रहा है और जांच की अवधि के दौरान निवेश पर नकारात्मक प्रतिफल रहा है।
 - v. घरेलू उद्योग ने अन्य कारकों के कारण क्षति का सामना नहीं किया है। अतः घरेलू उद्योग को हुई पर्याप्त क्षति संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के पाटन के कारण है।

vi. यहां तक कि प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा के लिए प्रयोक्ताओं के लिए फार्मेट निर्धारित किया है और यह स्पष्ट किया है कि कैसे पाटनरोधी शुल्क लगाने का उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यह नोट किया जाता है कि भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी भी आयातक/ प्रयोक्ता ने वर्तमान जांच में सहयोग नहीं किया है। सहयोगी आयातक एसोसिएशन इस पर कोई सत्यापन योग्य साक्ष्य प्रदान करने में विफल रहा है। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने प्रयोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा की गणना की है, जो कि महत्वपूर्ण मात्रा नहीं है। अतः यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क के किसी प्रतिकूल प्रभाव को स्थापित नहीं किया है।

त. सिफारिशें

95. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंध के पहलू पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। पाटनरोधी नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंध के बारे में जांच शुरू करने और जांच करने के संबंध में प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन और क्षति को दूर करने के लिए जांच पूरी होने तक शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता है। प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना आवश्यक समझते हैं और उसकी सिफारिश करते हैं।
96. यह मानते हुए कि विचाराधीन उत्पाद पूंजीगत वस्तु है, पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण वस्तु के भार या संख्या आदि जैसे किसी अन्य मापदंड के बजाए वस्तु के मूल्य पर आधारित होना चाहिए। अतः प्राधिकारी मानते हैं कि संबद्ध वस्तु की आयात कीमत के सीआईएफ मूल्य के प्रतिशत रूप में पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करना उचित होगा।
97. उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी नियमावली के नियम 4 (घ) के साथ पठित नियम 17 (1) (ख) में निहित प्रावधानों के अनुसार पाटन के मार्जिन और क्षति के मार्जिन में कमतर के समान पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं, ताकि घरेलू उद्योग की क्षति को दूर किया जा सके। प्राधिकारी तदनुसार केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए, नीचे शुल्क तालिका के कॉलम 9 में यथा उल्लिखित वस्तुओं की सीआईएफ कीमत की प्रतिशतता के रूप में चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।
98. इस प्रयोजन के लिए आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत सीमा शुल्क द्वारा यथा निर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9, 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सीमा शुल्कों का लागू स्तर होगा।

शुल्क तालिका

क्र. स.	उप शीर्ष अथवा टैरिफ की मद	वस्तुओं का विवरण	विनिर्देशन	मूलता का देश	निर्यातक का देश	उत्पादक	शुल्क की राशि	मापन की इकाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	8477.1000	प्लास्टिक प्रोसेसिंग अथवा इंजेक्शन मोल्लिंग	न्यूनतम 40 टन और अधिकतम 3200 टन की क्लैम्पिंग फोर्स	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित अन्य देश	कोई	सीआईएफ कीमत का 43.59 %	%

		मशीन*						
2	-वही-	-वही-*	-वही-	चीन जन. गण. के अलावा अन्य देश	चीन जन. गण.	कोई	सीआईएफ कीमत का 43.59 %	%

*निम्नलिखित प्रकार की मशीनें विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर की गई हैं :-

- i. सीमाशुल्क टैरिफ वर्गीकरण सं. 847730;
- ii. वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें;
- iii. सभी इलैक्ट्रिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें, जिनमें यांत्रिक संचालन जैसे इंजेक्शन, मोल्ड क्लोजिंग, मोल्ड ओपनिंग, इंजेक्शन, स्कू ड्राइव आदि को स्वतंत्र सर्वो मोटर द्वारा और डिजिटल नियंत्रण प्रणाली के साथ तथा बिना हाइड्रोलिक यूनिट के नियंत्रित किया जाता है;
- iv. फुटवियर, रोटरी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनरी, फुटवियर के निर्माण के लिए और फुटवियर सोल/ स्ट्रेप/ हील इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, जो सीमा शुल्क टैरिफ वर्गीकरण सं. 8453 के तहत वर्गीकृत हैं।
- v. सेकेंड हैंड/ प्रयोग की गई प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनें।

थ. आगे की प्रक्रिया

99. केन्द्र सरकार द्वारा इन जांच परिणामों को स्वीकार किए जाने के बाद इसके खिलाफ कोई भी अपील, अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जा सकेगी।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)
FINAL FINDINGS

New Delhi, the 16th February, 2022

Subject : Anti-dumping investigation concerning imports of Plastic Processing Machines originating in or exported from China PR

A. BACKGROUND OF THE CASE

F. No. 6/54/2020-DGTR.—1. Plastics Machinery Manufacturers Association of India (hereinafter referred to as the “applicant association” or “PMMAI”) has filed a duly substantiated application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”), on behalf of the domestic producers namely, M/s Shibaura Machine India Pvt. Ltd. (formerly known as Toshiba Machine (Chennai) Private Limited) and M/s Milacron India Pvt. Ltd. (hereinafter together referred to as the “applicants”) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the “Rules”) for initiation of, an original anti-dumping investigation concerning the imports of Plastic Processing Machines (PPM) or Injection Moulding Machines, (hereinafter also referred to as “product under consideration” or “PUC” or “subject goods”), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as “the subject country”).

2. Based on the duly substantiated application with prima facie evidence of dumping and injury filed by the applicant association, the Authority initiated an anti-dumping investigation vide Notification No. 6/54/2020 – DGTR dated 17th February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, in accordance with Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of alleged

dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged material injury to the domestic industry

B. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed with regard to this investigation:

- i. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the Rules.
- ii. The Authority issued a public notice dated 17th February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating of the anti-dumping investigation concerning the import of subject goods from the subject country.
- iii. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassy of the subject country in India, known producers/exporters from the subject country, known importers/users and the domestic industry as well as other domestic producers, as per the addresses made available by the applicant association and requested them to make their views known in writing within 30 days from the receipt of notice in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules.
- iv. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters, known importers and to the Embassy of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules.
- v. The Embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from the subject country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the known producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/ exporters from the subject country.
- vi. The Authority sent exporter's questionnaire to the following known producers/ exporters in the subject country, whose details were made available by the Applicants, to elicit relevant information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - a. M/s Haitain International
 - b. M/s Ningbo Hengrun Plastic Machinery Co Ltd
 - c. M/s Hangzhou Tederic Machinery Co Limited
 - d. M/s Guangzhou Borch Machinery Co Ltd.
 - e. M/s Zhejiang Golden Eagle Plastic Machinery Co Ltd
 - f. M/s Mitsrong Mould & Machine Co Ltd
 - g. M/s Liguang Machinery Co Ltd.
 - h. M/s Qingdao Sanyl Plastic Machinery Co Ltd.
 - i. M/s Zhangjiagang New Wanda Machinery Co Ltd.
 - j. M/s Zhejiang East Zhouqiang Plastic & Mould Industry Co Ltd.
 - k. M/s Zhangjiagang King Machine Co Ltd.
 - l. M/s Shanghai GS Machinery Manufacture Co. Ltd.
 - m. M/s Suzhou Fosita Science and Technology Co Ltd.
 - n. M/s Qingdao Runjia Plastic Machinery Co Ltd.
 - o. M/s Ningbo Shuangma Machinery Industry Co. Ltd.
 - p. M/s Demag Plastics Machinery (Ningbo) Co. Ltd.
 - q. M/s Ningbo Haixiong Plastics Machinery Co. Ltd.
 - r. M/s Guangdong Yizumi Precision Machinery Co. Ltd.

- s. M/s Shandong Tongjia Machinery Co. Ltd.
- t. M/s Chen De Plastics Machinery Co. Ltd.
- u. M/s Xinle Huabao Plastic Machinery Co. Ltd.
- v. M/s Cosmos Machinery Ltd.
- vii. None of the producers/exporters from the subject country filed any response to the exporter's questionnaire issued to them by the Authority.
- viii. Submissions have been made by the China Plastics Machinery Industry Association (CPMIA) and the same have been duly considered in the present final findings.
- ix. The Authority sent questionnaires to the following known importers / users of subject goods in India seeking necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
 - a. M/s Bharat Box Factory Limited
 - b. M/s Kunstocom (India) Limited
 - c. M/s Sumi Motherson Group
 - d. M/s Supreme Industries Limited
 - e. M/s Vidyut Metalics Limited
 - f. M/s Prince Plastics International Pvt. Ltd
 - g. M/s Arun Plasto Moulders India Pvt. Ltd
 - h. M/s Moldwell Products
 - i. M/s Salzer Electronics Limited
 - j. M/s Riya Moulders
 - k. M/s CJ Polytech Private Limited
 - l. M/s Tech Plastic Industries
 - m. M/s Sakthi Polymers
 - n. M/s Tooling Temple
 - o. M/s Victorious Engineering Works
 - p. M/s Ejobs info Tech India Pvt. Ltd
 - q. M/s Electronics Machine Tools Ltd
 - r. M/s Moldwell Products India Private Limited
 - s. All India Plastic Manufacturers' Association, Mumbai (AIPMA)
- x. None of the importers and users of the subject goods have filed response to the questionnaire issued to them by the Authority. Submissions have been made by the All India Plastic Manufacturers' Association, Mumbai (AIPMA) and the same have been duly considered in the present final findings.
- xi. Exporters, foreign producers, and other interested parties who have not responded to the Authority, or not supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperating interested parties.
- xii. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on a confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xiii. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR's website along with the request therein to email the non-confidential version (NCV) of their submissions to all the other

- interested parties since the public file was not accessible physically due to the ongoing global pandemic.
- xiv. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present investigation has been considered from 1st April 2019 to 30th September 2020 (18 months). The reason for adopting a POI with a longer duration than the standard 12 months is that the data furnished by the domestic industry in their application was up to June only, which was not recent enough and was more than six months old at the time of initiation of the investigation. The injury investigation period has been considered as the period from 1st April 2016 – 31st March 2017, 1st April 2017 – 31st March 2018, 1st April 2018 – 31st March 2019 and the Period of Investigation.
 - xv. Desk Verification of the information submitted by the domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation.
 - xvi. The Non-Injurious Price (NIP) is based on the cost of production and the cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules.
 - xvii. Information obtained from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) on transaction-wise import data for the past three years, and the period of investigation has been adopted for determination of volume and value of imports of product under consideration in India.
 - xviii. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority also provided an opportunity to all interested parties to present their views orally in a hearing held on 7th September, 2021. All the parties who had attended the oral hearing were provided an opportunity to file written submissions, followed by rejoinders, if any.
 - xix. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority these final findings.
 - xx. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded these final findings on the basis of the facts available.
 - xxi. In accordance with Rule 16 of the Rules, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide disclosure statement dated 4th February, 2022 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in these final findings. The Authority notes that most of the post disclosure submissions made by the interested parties are mere reiteration of their earlier submissions. However, the post disclosure submissions to the extent considered relevant are being examined in these final findings.
 - xxii. *** in these final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.
 - xxiii. The exchange rate adopted by the Authority during the POI for the subject investigation is 1 US\$= Rs. 73.17/-.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

- 4. The product under consideration for the purpose of the present investigation is “Plastic Processing Machines (PPM) or Injection Moulding Machines”.
- 5. The scope of the product under consideration includes “all kinds of plastic processing or injection moulding machines having clamping force not less than 40 tonnes and not more than 3200 tonnes, used for processing or moulding of plastic materials. The following types of products are however excluded from the scope of the product under consideration:
 - i. Blow moulding machines classified under Customs Tariff Classification No. 847730;
 - ii. Vertical injection moulding machines;
 - iii. All electric injection moulding machines wherein the mechanical movements such as injection, mould closing, mould opening, ejection, screw-drive, etc. are controlled by independent servo motors and having digital control system and without Hydraulic Unit;

- iv. Multi-colour/ multi-mould machinery for making footwear, rotary injection moulding machinery for making footwear and footwear sole/strap/heel injection moulding machine classified under the Customs Tariff Classification No. 8453.
- 6. The subject goods are classifiable under Chapter 84 of the Customs Tariff Act, 1975 under the subheading 84771000. The customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of this investigation.

C.1. Submissions by the domestic industry

- 7. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to the product under consideration and like article:
 - i. Clamping force has been determined by the domestic industry as the parameter for comparing various types of machines and the same has been accepted by the interested parties during the oral hearing and the Authority in previous findings.
 - ii. The multi colour/multi-mould machinery for purposes other than footwear cannot be excluded from the scope of the product under consideration as these machines are calibrated for specific purposes. Further, these products manufactured by the domestic industry are like article to the subject imports.
 - iii. Used/second hand plastic processing machines have already been excluded from the scope of the product under consideration. The domestic industry has no objection to the Authority specifically excluding these machineries in the final finding provided the meaning of used machines be specified.
 - iv. The goods produced by the domestic industry are like articles to the goods imported from China PR.

C.2. Submissions by other interested parties

- 8. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the product under consideration and like article:
 - i. Clamping force is not an appropriate parameter since China-made PPM is smaller than India-made PPM when the clamping force is same. China-made PPM is cost efficient because it consumes lesser raw materials.
 - ii. Second-hand and used machinery should be excluded from the scope of the product under consideration, which has been conceded to by the domestic industry. The Authority is requested to specifically mention the exclusion of the same from the scope of the product under consideration in the final findings.

C.3. Examination by the Authority

- 9. The product under consideration in the present investigation is Plastic Processing Machines (PPM) or Injection Moulding Machines. The product under consideration has been defined to include all kinds of plastic processing or injection moulding machines having clamping force not less than 40 tonnes and not more than 3200 tonnes, used for processing or moulding of plastic materials, except:
 - i. Blow moulding machines classified under Customs Tariff Classification No. 847730;
 - ii. Vertical injection moulding machines;
 - iii. All electric injection moulding machines wherein the mechanical movements such as injection, mould closing, mould opening, ejection, screw-drive, etc. are controlled by independent servo motors and having digital control system and without Hydraulic Unit;
 - iv. Multi-colour/ multi-mould machinery for making footwear, rotary injection moulding machinery for making footwear and footwear sole/strap/heel injection moulding machine classified under the Customs Tariff Classification No. 8453.
 - v. Second hand/ used plastic processing machines.
- 10. The subject goods are classifiable under Chapter 84 of the Customs Tariff Act, 1975 under the subheading 84771000. The customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of this investigation.

11. The subject goods produced by the domestic industry and that imported from the subject countries are comparable in terms of physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. In view of the same, the product under consideration produced by the domestic industry is treated as like article to the product under consideration imported from the subject country.
12. It is noted that the plastic processing machines are manufactured in various sizes and capacities described in terms of clamping forces. The domestic producers as well as the foreign producers manufacture different types of plastic processing machines with different clamping forces and different additional features and the machines with different capacities are used for molding certain group of products. The domestic industry has considered clamping force of a plastic processing machines as the basis for comparing different types of the PUCs and has provided information accordingly. The import description of the product under consideration in the DGCI&S data does not have any distinguishing feature other than the clamping force.
13. Further, it is noted that none of the exporters in the subject country has participated in the present investigation and even other interested parties have not provided any information on the likely parameters that can be considered relevant for fair comparison. Therefore, the Authority has considered clamping force as the appropriate parameter to differentiate different types of machines and to compare the imported product and the domestic like product. It is noted that the domestic industry produces machines with different clamping forces and within those ranges the machines produced by the producers in the subject country are like articles and clearly technically and commercially substitutable. These product types are inter-se like products within their clamping force ranges. Machines of different clamping forces are produced using the same manufacturing facility with the same manpower and similar raw materials. Producers can thus interchangeably produce machines of different clamping forces and can readily switch from production of one type to the other. For the purpose of fair comparison, Plastic Processing Machines of different clamping forces have been treated as different product types and comparisons have been made on that basis to the extent possible. Dumping margin have been determined first for machines clamping force-wise and thereafter weighted average thereof has been taken.
14. As regards the exclusion of second-hand and used machinery from the scope of the product under consideration in the present investigation, it is noted that the same is excluded from the scope of product under consideration.

D.1. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

15. Rule 2(b) of the Rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.

D.2. Submissions by the domestic industry

16. Following submissions have been made by the applicants with regard to the scope of the domestic industry and standing:
 - i. The application for initiation has been filed by the Plastics Machinery Manufacturers Association of India (PMMAI) on behalf of Shibaura Machine India Private Limited and Milacron India Private Limited. Production by Shibaura Machine India Private Limited and Milacron India Private Limited constitute more than 50% of the total domestic production of the subject goods. The applicants have provided all the relevant information with regard to the present investigation. The application is supported by Electronica Plastic Machines Limited and Windsor Machines Limited.

- ii. The applicants have not imported the subject goods. The applicants are not related, either directly or indirectly, to any exporter in the subject country or any importer of the dumped article.
- iii. Trade notice cannot supersede the requirements of law and the rights of Windsor Machines Limited and Electronica Plastic Machines Limited as supporters cannot be denied for not adhering to the Trade Notices. Additionally, the applicants constitute major proportion even without the supporters.

D.2. Submissions by the other interested parties

17. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the scope of the domestic industry and standing:
 - i. The applicants should provide meaningful and sufficient information of the supporting producers so that the same can be analyzed and comments can be filed.
 - ii. Windsor Machines Limited and Electronica Plastic Machines Limited cannot be termed as a supporter as it has merely submitted support letters and failed to file complete responses in the formats prescribed by the Authority, thereby violating Trade Notice No. 13/2018 and Trade Notice No. 14/2018.

D.3. Examination by the Authority

18. The application has been filed by the Plastics Machinery Manufacturers Association of India (PMMAI). The application was filed on behalf of the domestic producers, M/s Shibaura Machine India Private Limited and M/s Milacron India Private Limited, which together constitute about ***0% of the domestic production of the subject goods during the POI(A).
19. The Authority notes that the applicants have not imported the subject goods and are not related, either directly or indirectly, to any exporter in the subject country or any importer of the subject goods. The applicants account for “a major proportion” in the domestic production of the like article and are eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions by the domestic industry

20. Following submissions have been made by the applicants with regard to confidentiality:
 - i. Costing information is a business proprietary information and is not amenable to summarization. Reliance is placed on the decisions of the CESTAT in the case of Anwar Jute Spinning Mills Ltd and Nitro Chemical Industry Ltd v. Designated Authority.
 - ii. Price undercutting for the POI(A) has been provided in the application post-initiation contrary to the Respondent's allegation. No further information is provided by the interested parties on the alleged excessive confidentiality claims of the domestic industry.

E.2. Submissions by the other interested parties

21. The following submissions have been made by the other interested parties with regards to confidentiality:
 - i. NCV of the application does not allow a reasonable understanding of the allegations contained in it. The NCV fails to meet the standards in Rule 7 of the Rules and Trade Notice No. 1/2013. No information has been provided on Section VI of the application.
 - ii. No reasonable justification for the excessive confidentiality has been provided. Significant data in the application are not properly indexed. Confidentiality reasoning table is not as per the Trade Notice.

E.3. Examination by the Authority

22. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provides as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the

designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

23. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file was not accessible physically due to the ongoing COVID19 global pandemic.
24. The Authority notes that the information provided by the interested parties on confidential basis was duly examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority also notes that all the interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F.1. Submissions by the domestic industry

25. Following miscellaneous submissions have been made by the applicants:
 - i. Opposing interested parties have failed to substantiate their claim that the domestic industry has failed to provide substantive evidence and as such the allegation is baseless.
 - ii. The application for initiation has been filed by the Plastics Machinery Manufacturers Association of India (PMMAI) on behalf of Shibaura Machine India Private Limited and Milacron India Private Limited. Production of Shibaura Machine India Private Limited and Milacron India Private Limited constitute more than 50% of the domestic production of the subject goods and is supported by Electronica Plastic Machines Limited and Windsor Machines Limited. The applicant association has provided information as required under para 4.9.10 of the Manual of Operating Practises via letter dated 6th September 2021.
 - iii. CPMIA and AIPMA have failed to comply with the obligations set out under Rule 6 and 7 thereby failing to establish themselves as interested parties in the present investigation. Additionally, the interested parties have failed to respond to the relevant questionnaires.
 - iv. CPMIA is not an association dedicated to the producers/exporters of the subject goods in China PR. Additionally, out of the seven producer/exporters that it represents in the current investigation, three producers are not its members.
 - v. Neither did the members co-operate with the investigation by providing information, nor have they refuted the claim that producers/exporters from China PR are dumping the subject goods into India. Additionally, during the oral submission, the association claimed that they are not interested in India as it is not a major market for them, thereby evidencing no objection on imposition of duties.
 - vi. AIPMA does not represent the interest of the users and have failed to demonstrate its credentials by not providing information on the members or authorisation to represent such members. Reference is placed on the decision of the Tribunal in Automotive Tyre Importers Association v. Designated Authority (2011 (270) E.L.T. 119 (Tri. -Del.)), which held that a user association must establish itself as an interested party by demonstrating its credentials, including registration under any law and objects and purpose.

- vii. As per the provisions of Rule 2(c) read harmoniously with Rule 6(5), the associations do not constitute interested party, considering that the subject goods are sold only to industrial users and the participating association have merely advanced submissions.
- viii. Imposition of anti-dumping duty will not be against public interest as the absence of participation from user/importer industry shows that they are not adversely impacted and the impact of duty on the consumer and downstream industry is miniscule. Further, there is sufficient inter-se competition in the domestic industry and there is no demand-supply gap in the country. It is also noted that reliance on foreign producers would make post-sale services time consuming and expensive to the user industry.
- ix. The responding associations has attempted to derail the current investigations by making generic statements without concrete submissions, information, or evidence to substantiate their claims on impact of ADD. The impact analysis undertaken by the domestic industry indicates that not only is the impact on the downstream industry minuscule, but the duties shall also contribute to generating employment as a labour-intensive industry and allow growth of supporting industry including local plastics processors.

F.2. Submissions by the other interested parties

26. The following miscellaneous submissions have been made by the other interested parties:

- i. PMMAI has not provided substantive evidence establishing conditions for the initiation of the investigation. The initiation is baseless and the investigation ought to be terminated.
- ii. While PMMAI has 292 members as per their website, the application lists down only 24 producers of the subject goods in India. Hence, a majority of the members of PMMAI are not producers of the subject goods and cannot be interested parties as per Rule 2(c)(iii) of the Rules. The term “majority of the members” implies at least 50%. No member producer has authorized PMMAI to file the application. No letter or minutes of the board meetings authorizing the association has been enclosed with the application.
- iii. No evidence has been submitted to show that PMMAI meets the precondition under Rule 2(c)(iii).
- iv. Granting protection on an application filed by a deficient representation can have a detrimental impact on MSME end-users. The investigation should be terminated taking into consideration the public interest.
- v. There is no trade notice issued by the Authority that requires an exporters’ association to file a questionnaire response. Hence, CPMIA and AIPMA did not file a questionnaire response. The Authority has not called any information from CPMIA or AIPMA by issuing a notice as per Rule 6(4) of the Rules. Hence, CPMIA and AIPMA have not ignored its obligations.
- vi. CPMIA had participated in the past investigations on the import of the subject goods from China PR. CPMIA had fully cooperated in the past and is willing to provide any information required by the Authority. The list of 27 members of CPMIA submitted by the applicants is from the English version of CPMIA’s website, which is not updated. The member list is also out of date. The authorizing companies are all members of CPMIA and account for 65-70% of the total PUC production in China PR. The Rules do not require all members of an association to be producers, exporters or importers of the PUC to be an interested party.
- vii. AIPMA was listed as a known importer by the applicant in the original application. AIPMA has participated in several investigations in the past and the Authority has considered them as an interested party.
- viii. The Authority had considered an association as an interested party in the recently concluded anti-subsidy investigation on “Viscose Rayon Filament Yarn above 60 deniers” from China PR. Similar analogy should be applied for CPMIA and AIPMA in the present case. The documents required as per the Manual of Operating Practices is not an obligatory requirement for CPMIA or AIPMA and is specifically required only for the Applicant association.
- ix. The imposition of the anti-dumping duty shall affect the downstream industry who may not be capable of sustaining the increment of cost, and the subsequent competitive asymmetry in the

market shall drive the small industries to unemployment. Additionally, the duty shall contribute to steep inflationary trend.

F.3. Examination by the Authority

27. The present investigation was initiated pursuant to a duly substantiated application filed by the applicant association on behalf of the domestic producers. The investigation was initiated by the Authority based on prima facie evidence of dumping of the subject goods from the subject country, injury to the domestic industry, and the causal link between the alleged dumping and injury.
28. As regards the argument on the eligibility of PMMAI as an applicant association, it is noted that PMMAI, vide a letter dated 6th September 2021, provided the prescribed information of the applicant association to establish that they are an interested party to the present investigation. All the known producers of the product under consideration are members of PMMAI. Two members of the association, Shibaura Machine India Private Limited and Milacron India Private Limited have individually requested imposition of ADD by providing all relevant injury information.
29. The Authority notes that CPMIA provided a list of 7 producers/exporters of the subject goods in the subject country who have authorized CPMIA to represent them in the present investigation. However, CPMIA has not provided a list of all their members identifying the producers/exporters of the subject goods in the subject country. Even AIPMA has neither provided a letter from its members whom they seek to represent nor a list of their members identifying those engaged in the subject goods. The applicants have contended that both CPMIA and AIPMA are not associations dedicated to the subject goods. However, the Authority for the purposes of the present investigation has considered their submissions to the extent they are relevant to the present investigation.
30. As regards the argument of impact of the anti-dumping duty on the downstream industry, it is noted that no user/importer has cooperated in the present investigation. Even the responding user association has failed to provide any verifiable evidence to demonstrate that the imposition of the anti-dumping duty would adversely impact the downstream industries. Further, even if the imposition of anti-dumping duty affects the price levels of the products manufactured using the subject goods, it would only ensure fair competition in the Indian market.

G. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

G.1. Normal Value

31. Under section 9A(1)(c) of the Act, normal value in relation to an article means:
 - (i) *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - (ii) *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*
 - (a) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - (b) *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

G.2. Submissions by the domestic industry

32. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the normal value, export price, and dumping margin:

- i. The Designated Authority shall follow Para 1-6 of Annexure – I of the Rules for determination of normal value only if the responding Chinese producers/exporters establish that their costs and price information is such that individual normal value and dumping margins can be determined. If the responding Chinese producers/exporters are not able to demonstrate that their costs and price information can be adopted, the Designated Authority shall reject the claim of individual dumping margin.
- ii. Unless the producers / exporters in China PR establish their costs and prices are reliable, their domestic costs and prices cannot be accepted for determination of normal value. In view of the failure of the producers and exporters to demonstrate that they are operating under market economy conditions, the normal value should be determined in accordance with the provisions of para 7 of Annexure – I to the Rules.
- iii. Since no verifiable evidence could be collected for prices or constructed value of various types of the subject goods in market economy third country or price from third country to other country, the applicants determined the normal value on the basis of cost of production of the domestic industry, duly adjusted, and after adding selling, general, and administrative expenses and reasonable profit margin.
- iv. The dumping margin is not only above de-minimis but also significant for the subject country.
- v. None of the exporters or importers/users have responded to the questionnaire and as such should be considered non-cooperative. Further, these parties should not be allowed to provide any information regarding dumping margin calculation at such belated stage. Hence, the dumping margin for exporters from China PR should be determined on the basis of price payable in India, duly adjusted after addition for SG&A expenses and reasonable profits.
- vi. The Chinese producers/exporters have not participated in the current investigation and thereby failed to substantiate that market economy conditions prevail in the industry as required under Article 15 (a) (i) of the Accession protocol.
- vii. Reliance is placed on the final finding in SSR investigation concerning imports of Electric Insulators, originating in, or exported from People's Republic of China [Case No. 7/44/2018-DGTR], which held that in the absence of responding exporters from China, normal value shall be computed as per provision of para 7 of Annexure-I of the Rules. As such, the dumping margin is required to be determined on the basis facts available.

G.3. Submissions by the other interested parties

33. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the normal value, export price, and dumping margin:
 - i. There is no basis for NME treatment of China post 11th December, 2016. Hence, the Authority should not use the “surrogate country” methodology for calculating Normal Value. The same is supported by the interpretation of the legal relationship between Article 15(a) and 15(b) of the protocol in the AB Report in the Fasteners case.
 - ii. No party should evade obligation under international law citing domestic laws. China is entitled to various rights granted under the WTO framework. The importance of the 15 years deadline was shared by the US and EU as well. Domestic laws allowing NME treatment of China has no relevance after the 15-year deadline.
 - iii. China should be granted Market Economy status. At the least, data on costs and prices provided by the company should be applied for normal value determination.

G.4. Examination by the Authority

34. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters of the subject goods from the subject country advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. None of the producers/exporters of the subject goods from the subject country have co-operated in this investigation and filed prescribed questionnaire responses.

Market Economy Status for Chinese Producers

35. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

“Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (“Anti-Dumping Agreement”) and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector.”

36. It is noted that while the provision contained in Article 15(a)(ii) has expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of the WTO read with obligation Article 15(a) (i) of the Accession Protocol requires the criterion stipulated in Para 8 of Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/ data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status. It is noted that since none of the producers/exporters of the subject goods from China PR have cooperated in the present investigation, the normal value computation is required to be done as per provisions of Para 7 of Annexure I of the Rules.

37. As none of the producers / exporters from China PR have filed the questionnaire response in the present investigation, the normal value has been determined in accordance with para 7 of Annexure I of the Rules, which reads as under:

In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis if the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of

any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

38. The Authority notes that the prices or constructed value of the product in an appropriate market economy third country or import price from such a market economy third country to another country based on various clamping force has neither been made available by the applicants nor by an interested party nor is available with the Authority from any public source. Hence, the normal value for all the producers/exporters of the subject goods in the subject country has been determined on the basis of cost of production of the domestic industry, duly adjusted, and after adding selling, general, and administrative expenses and reasonable profit margin. The normal value so determined is given below in the dumping margin table.

G.5. Determination of export price

39. Since none of the producers/exporters of the subject goods from the subject country has cooperated in the present investigation, the export price for all producers/exporters from China PR have been determined as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules.

G.6. Dumping Margin

40. Considering the normal value and export price as above, the dumping margin for all producers/exporters of the subject goods from the subject country is determined as below. Further, normal value and export price has been taken for the comparable clamping forces for determination of clamping force-wise dumping margin and thereafter weighted average thereof has been taken. The table below represents weighted average considering associated import volumes:

DUMPING MARGIN TABLE

Producer	Normal Value (Rs. Lacs. per machine)	Export Price (Rs. Lacs. per machine)	Dumping Margin (Rs. Lacs. per machine)	Dumping Margin (%)	Dumping Margin Range (%)
All producers/ exporters from China PR	***	***	***	***	50-60

H.1. METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1. Submissions by the domestic industry

41. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to injury and causal link analysis:
- The Period of Investigation includes period from April 2020-September 2020, which was impacted by COVID-19, it is requested that injury analysis be conducted by either examining injury parameters for the period from April 2019- March 2020, or for the entire period of investigation from April 2019-September 2020.
 - The subject imports have increased in absolute and relative terms despite decline in demand, impact of COVID-19 and the existence of anti-dumping duty.
 - The subject imports are undercutting, depressing, and underselling the prices of the domestic industry during 2019-20 and the period of investigation.
 - The production, sales and capacity utilisation of the domestic industry increased till 2018-19 and declined thereafter. The market share of the domestic industry declined in 2017-18 and remained stagnant thereafter while the market share for the imports have increased in 2019-20 and the period of investigation.

- v. The domestic industry suffered decline in profitability, cash profits and ROI in 2019-20 and experienced financial losses, negative PBIT and negative returns on capital employed in the POI. The inventories have increased throughout the injury period including 2019-20 and the POI. The growth of the domestic industry recorded negative on all the major injury parameters and the ability to raise capital investment weakened significantly.
- vi. While the volume of imports declined significantly and the performance parameters improved after imposition of the duty in the original investigation, in the current investigation, despite the existing ADD, the performance parameters continue to deteriorate.
- vii. No evidence has been provided by the interested parties to substantiate that the increase in subject imports and injury to the domestic industry is exaggerated. The financial statements of the domestic industry refer to its entire operation covering both domestic and exports for the products produced by the company.
- viii. Haitian Huayuan Machinery (India) Pvt. Ltd., a subsidiary of Haitian Plastics Machinery Group Co. Ltd in China PR is not engaged in manufacturing the subject import but assembling the product using imports of the subject goods in semi-knocked down or completely knocked down forms of the product under consideration from their parent company, as evidenced by their high raw material share and low employee and depreciation cost.
- ix. Imports from Taiwan does not cause injury to the domestic industry as the export price from China PR is lower than those from Taiwan for almost all imports on a clamping-wise comparison.
- x. Even though COVID-19 left the domestic industry in a vulnerable state, the subject imports have caused the injury as can be seen from the analysis on the injury parameters for the injury period and the year 2019-20 when the impact of COVID-19 is absent. The decline in demand has not impacted the volume of imports – which has in fact increased. Further, steep increase in inventories in the year 2018-19 despite increase in demand and in 2019-20 when the impact of COVID-19 is absent is a proof that the increase in inventories cannot be solely attributed to a decline in demand or COVID-19.
- xi. The injury to the domestic industry is not due to increase in net fixed assets (NFA), working capital or number of employees. Further, the domestic industry has suffered negative returns on the capital employed, which indicates that the Respondent's argument that increase in net fixed assets and working capital shows absence of injury is misleading. Additionally, it has already been submitted that the number of employees is not reflective of the impact of dumping. The increase in capital employed is owing to the investments made by the domestic industry to replace job work with in-house production.
- xii. The domestic industry does not deny the impact of slowdown in automobile sector due to COVID-19, however, the subject imports have injured the domestic industry leaving it vulnerable to these factors. Additionally, it is to be noted that the requirement under Rule 11 (2) of the Rules does not necessitate that the subject imports be the sole cause of injury suffered by the domestic industry. The allegation that the domestic industry faces internal problems is baseless and unsubstantiated.
- xiii. The news on the proposed \$30 million investment made by Milacron was put on hold due to low demand. As such, there are no additional capital/revenue cost incurred by the domestic industry.

H.2. Submissions by the other interested parties

- 42. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to injury and causal link analysis:
 - i. PMMAI has exaggerated the increase in imports and invented an injury to the domestic industry. There is, in fact, no increase in the subject imports. The claims of PMMAI are contrary to published information and appears to be made up and fabricated to show injury to the domestic industry.
 - ii. The duty has already been in existence during the POI as well as for the last 10 years on the subject goods from China PR. As such the current investigation is practically an SSR

- investigation. It is submitted that the duty has resulted in sharp decline of subject imports, and has served its purpose and is therefore not warranted in future.
- iii. Subject imports are not causing any volume injury to the domestic industry. Major share of demand is fulfilled by the domestic industry only. The Authority should examine whether injury is due to other Indian producers whose share has increased substantially. Imports from China PR have not caused injury to the domestic industry during the POI(A). The demand for the subject goods has increased substantially, and subject imports only accounted for ***% of the total demand in India during the POI.
 - iv. The increase in landed price of the subject imports is higher than the increase in domestic selling price. Hence, there cannot be price injury. Price undercutting is also negative.
 - v. The decline in production, capacity utilization and domestic sales in the POI (A) is attributed to the COVID-19 Pandemic and not the subject imports as provided in the financial statements of Milacron India Private Limited for the year 2019-20. There is no mention of increase in imports or dumping of subject goods.
 - vi. The sudden decline in domestic sales/ export sales during the POI raises doubts about the authenticity of the data provided.
 - vii. The decline in demand due to COVID-19 resulted in the accumulation of average stock. Increase in stock should be analyzed with total production and sales.
 - viii. Major market share is enjoyed by the domestic industry. Market share of subject imports increased marginally, while that of other Indian producers increased sharply. The increase in share of other Indian producer in the POI as compared to the base year could be the reason for the injury to the domestic industry.
 - ix. The decline in profitability and return of the domestic industry is not due to dumping or increase in imports. The number of employees have increased. There is no injury since Net Fixed Assets and Working Capital has also increased. There is an increase in capital employed despite no increase in installed capacities. The Authority is requested to examine the same.
 - x. The Appellate Body in US – Hot Rolled Steel held that the investigative authority should separate and distinguish the injury caused to the domestic injury by other known factors. Hence, the Authority should examine the effect of other factors, the extent of the effect, and make a detailed analysis of the same.
 - xi. The domestic industry has failed to address a number of issues other than the subject imports. They include slow market growth in automotive segment, unplanned shut down of plants, internal problems, and impact of Covid-19.
 - xii. Milacron is investing in building a second factory in India. The performance of the domestic industry might be affected due to this long-term construction project. The Authority should examine if such capital/revenue cost for the new project has been shown in current operations. Losses due to new investment should not be attributed to the subject imports.

H.3. Examination by the Authority

43. The Authority has taken note of the arguments and counter-arguments of the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The injury analysis by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.
44. Rule 11 of the Rules read with its Annexure-II thereto provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles.*” In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production,

capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.

45. The submissions made by the domestic industry and the other interested parties during the course of investigations with regard to injury and causal link and considered relevant by the Authority are examined and addressed as under.

H.3.1. Assessment of Demand

46. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian producers, and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

Particulars	UOM	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annualized
Subject Country China	Number	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>130</i>	<i>135</i>	<i>213</i>	<i>142</i>
Other Countries	Number	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>116</i>	<i>174</i>	<i>92</i>	<i>61</i>
Sales of domestic industry	Number	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>115</i>	<i>130</i>	<i>136</i>	<i>91</i>
Sales of Supporters	Number	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>115</i>	<i>132</i>	<i>135</i>	<i>90</i>
Sales of Other Indian producers	Number	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>210</i>	<i>220</i>	<i>253</i>	<i>169</i>
Total Demand	Number	3,774	4,905	5,640	5,718	3,812

47. The Authority notes that the demand for the subject goods in India has increased till 2018-19 and declined in the POI(A). The domestic industry has submitted that this decline in demand in the POI(A) is due to recession in the auto industry and due to COVID-19. The demand of subject imports in the POI(A) has, however, increased when compared to the base year.

H.3.2. Volume Effect of Dumped Imports

48. The effect of the volume of dumped imports from the subject country as well as imports from other countries have been examined by the Authority as follows. The effect of import has been evaluated in value terms since prices of the PUC of different clamping forces have huge price variation and determination of market share in terms of numbers may not give correct picture.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI(A)
Sales DI	₹ Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>119</i>	<i>142</i>	<i>141</i>
Sales of other producers	₹ Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>113</i>	<i>125</i>	<i>147</i>
Imports from China	₹ Lacs	***	***	***	***

<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>104</i>	<i>169</i>	<i>180</i>
Imports from other countries	₹ Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>91</i>	<i>176</i>	<i>112</i>
Total	₹ Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>111</i>	<i>147</i>	<i>140</i>
Market Share in Demand					
Domestic industry	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>108</i>	<i>96</i>	<i>100</i>
Other producers including supporter	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>102</i>	<i>85</i>	<i>105</i>
Imports from China	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>94</i>	<i>115</i>	<i>128</i>
Imports from other countries	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>82</i>	<i>120</i>	<i>80</i>
Total	%	100.00	100.00	100.00	100.00

49. The Authority notes that the volume of subject imports have increased in absolute terms over the injury period and the POI despite the anti-dumping duty that was in force on the imports of the subject goods from the subject country during the entire duration of the injury period. The subject imports have also increased in relation to consumption in India during the POI(A) in comparison to the previous as well as the base year. Even in terms of number of machines, the increase in imports from the subject country is consistent over the injury investigation period.

H.3.3. Price Effect of Dumped Imports

50. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, the Authority is required to consider the effect of the dumped imports on domestic prices in terms of price undercutting, price suppression and price depression, if any.

i. Price Undercutting

51. With regard to the effect of dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The price undercutting has been determined for the POI for the PUC clamping force-wise and thereafter for the product under consideration as a whole by taking weighted average using associated import volumes. The landed price of imports for the purpose has been determined considering imports of different types of machines, clamping force-wise. Further, in order to ensure fair comparison between the import price and selling price of the domestic industry, the selling price of the domestic industry has been considered for the comparable PCN. Weighted average price undercutting has been determined considering price undercutting for machines clamping force-wise and their associated import volumes. The selling price of the domestic industry is shown below considering associated import volumes. Summarized position is as follows.

Parameters	UOM	POI
Weighted average landed price	₹ Lacs/Number	***
Weighted average selling Price considering associated imported	₹ Lacs/ Number	***

volumes of machines clamping force-wise		
Price undercutting	₹ Lacs/ Number	***
Price undercutting	Range	40-50%

It is noted that the subject imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry.

ii. Price Suppression and Depression

52. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority notes the changes in the costs and selling prices over the injury period. It is noted that the Weighted average cost of sales & selling price of the domestic industry has been worked out considering the production & sales volumes of the domestic industry respectively. The position is shown as per the table below:

Parameters	UOM	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annualized
Weighted average cost of sales	₹ Lacs/Number	***	***	***	***	***
Trend		100	103	110	111	111
Weighted average selling price	₹ Lacs/Number	***	***	***	***	***
Trend		100	104	109	104	104

53. It is noted that while the cost of sales of the domestic industry increased over the injury period, the domestic industry is unable to increase its price in proportion to increase in cost resulting in price suppression.

H.3.4. Impact on Economic Parameters of the Domestic Industry

54. Annexure II to the Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

i. Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales

55. The Authority has considered capacity, production, capacity utilization and domestic sales of the domestic industry over the injury period and notes as follows:

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annualized
Installed Capacity	Number	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	100	100	150	100
Production	Number	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	112	130	136	91

Capacity Utilisation	%	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>111</i>	<i>128</i>	<i>91</i>	<i>91</i>
Domestic Sales	Number	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>115</i>	<i>130</i>	<i>136</i>	<i>91</i>

56. It is noted that:

- The capacity of the domestic industry has remained constant throughout the injury period and the POI.
- The production of the domestic industry has increased till 2018-19 but declined significantly in the POI(A).
- The capacity utilization and domestic sales of the domestic industry also follows the same trend as these too have increased till 2018-19 and the registered significant decline in the POI(A).
- The production, sales and capacity utilization of the domestic industry has declined during period of investigation as compared to base year as well as previous year.

i. Market Share of domestic industry in Demand

57. Market share of the domestic industry has been examined as below:

Market Share in Demand	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI annualized
Domestic industry	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>108</i>	<i>96</i>	<i>100</i>
Other producers including supporter	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>102</i>	<i>85</i>	<i>105</i>
Imports from China	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>94</i>	<i>115</i>	<i>128</i>
Imports from other countries	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>82</i>	<i>120</i>	<i>80</i>
Total	%	100.00	100.00	100.00	100.00

58. The market share of the domestic industry increased in 2017-18, then declined in 2018-19 and marginally improved in the POI(A). The market share of the subject imports, on the other hand, has increased in the POI(A) and is maximum during POI in the entire injury period.

ii. Inventories

59. The data relating to inventory of the subject goods are shown in the following table:

Parameters	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annualized
Opening Stock	Number	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>25</i>	<i>50</i>	<i>575</i>	<i>375</i>
Closing Stock	Number	***	***	***	***	***

<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>2,300</i>	<i>400</i>	<i>300</i>
Inventory	Number	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>67</i>	<i>433</i>	<i>467</i>	<i>467</i>

60. The Authority notes that the inventories with the domestic industry have increased significantly in the POI(A) in comparison with the base year as well as the previous year.

iii. Profits, Cash Profits and Return on Capital Employed

61. Profits, cash profits, PBIT, and return on investment of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Parameters	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annualized
Profit/Loss	₹ Lacs/Number	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>124</i>	<i>96</i>	<i>-18</i>	<i>-18</i>
Profit/Loss	₹ Lacs	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>142</i>	<i>125</i>	<i>-24</i>	<i>-16</i>
PBIT	₹ Lacs	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>142</i>	<i>125</i>	<i>-24</i>	<i>-16</i>
Cash Profits	₹ Lacs	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>176</i>	<i>167</i>	<i>97</i>	<i>64</i>
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>118</i>	<i>78</i>	<i>-12</i>	<i>-12</i>

62. It is seen that:

- The profits of the domestic industry have increased till 2017-18, declined in 2018-19, and declined further to negative levels in the POI(A). The same trend is seen in PBIT and return on investment.
- The cash profits of the domestic industry, similarly, increased till 2017-18, declined in 2018-19, and further significantly in the POI(A), and is lower than the base year.
- The domestic industry has suffered financial losses and negative returns on investments in the POI.

iv. Employment, wages and productivity

63. The situation of the domestic industry with regard to employment, wages, and productivity is as below:

Parameters	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI	
					Actual	Annualized
No. of Employees	Number	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>102</i>	<i>110</i>	<i>114</i>	<i>114</i>

Wages	₹ Lacs	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>124</i>	<i>145</i>	<i>209</i>	<i>140</i>
Wages per employee	₹ Lacs	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>129</i>	<i>143</i>	<i>129</i>	<i>129</i>
Productivity Per Day	Number	***	***	***	***	***
<i>Trend</i>	<i>Index</i>	<i>100</i>	<i>112</i>	<i>130</i>	<i>91</i>	<i>91</i>

64. It is noted that number of employees have increased during the period of investigation as compared to base year as well as previous years. However, wages paid have increased till 2018-19 but declined during period of investigation.

v. Growth

65. Examination of growth parameters of the domestic industry during the injury period is shown below—

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Production PUC	No.	-	12.19	15.45	-29.91
Domestic sales	No.	-	14.52	13.45	-30.31
Profit/Loss	₹/No.	-	24.12	-22.62	-118.49
Profit/Loss	₹ Lacs	-	42.14	-12.22	-112.88
Profit before interest and tax	₹ Lacs	-	42.00	-12.30	-112.75
Cash profit	₹ Lacs	-	76.32	-5.55	-61.29
Return on capital employed	%	-	17.45	-33.92	-114.84

66. It is noted that the growth of the domestic industry is negative for major parameters like production, domestic sales, profits, PBIT, cash profits, and ROCE during the POI. As regards the argument of the interested parties that the injury to the domestic industry is due to increase in employees, it is noted that wages per employee and the total wages paid has declined during period of investigation as compared to previous year. Therefore, increase in employees cannot be a cause of injury since less money has been spent on wages in POI(A) by the domestic industry in the POI as compared to the previous year.

vi. Factors affecting domestic prices

67. The Authority notes that the domestic prices have been affected due to the presence of dumped imports in the country.

vii. Ability to raise fresh investment

68. Due to the financial losses, negative PBIT, and negative returns suffered by the domestic industry its ability to raise capital investment has significantly weakened.

viii. Magnitude of Dumping

69. It is noted that the subject goods are being dumped into India and the dumping margin is positive and significant.

I. CONCLUSION ON INJURY

70. The Authority notes that subject imports have increased over the injury period in absolute terms and in relation to consumption in India despite the anti-dumping duty that was previously in force on the subject imports throughout the injury period. The subject imports are undercutting the selling price of

the domestic industry in the POI and also causing suppression effect on the prices of the domestic industry. Overall performance of the domestic industry has deteriorated in terms of production, sales and capacity utilization. The domestic industry is suffering financial losses and negative returns on investment in the POI. The Authority therefore concludes that the domestic industry has suffered material injury.

J. CAUSAL LINK AND NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

71. As per the Rules, the Authority, *inter alia*, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, *inter alia*, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology, export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry:

a. Volume and prices of imports from third countries

72. The Authority notes that the imports of the subject goods from third countries are either (a) at insignificant volumes, or (b) at higher prices and hence not causing injury to the domestic industry.

b. Contraction in demand and/ or change in pattern of consumption

73. The demand for the subject goods has increased in the POI(A) compared to the base year. The decline in comparison to the previous year is due to the slowdown in the automobile sector and COVID-19. While these factors did impact the domestic industry adversely, the industry has been largely hit by the increasing volume of dumped imports from the subject country

c. Export performance of the domestic industry

74. It is noted that the injury analysis is based on domestic performance. Hence, the injury is not on account of export performance of the domestic industry.

d. Development of technology

75. It is noted that the technology for producing subject goods has not undergone any change and therefore could not have caused injury to the domestic industry.

e. Performance of other products of the company

76. It is noted that domestic industry has segregated its performance with respect of different products. The performance of other products those are being produced and sold by the domestic industry are not a cause of injury, if any

f. Trade restrictive practices and competition between foreign and domestic producers

77. The import of the subject goods is not restricted in any manner and the same are freely importable in the country. The domestic producers compete with the landed prices of the subject goods. The price of the domestic industry is influenced substantially by the landed prices of subject goods. Moreover, no evidence has been submitted by any interested party to suggest that the conditions of competition between foreign and domestic producers have undergone any change.

K. FACTORS ESTABLISHING CAUSAL LINK

78. The Authority concludes that the domestic industry has not suffered injury due to other known factors listed above.
79. The Authority, thus, concludes that dumped imports from the subject country have caused material injury to the domestic industry.

L. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

80. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the PUC has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the POI. Separate NIP has been determined for the various product types based on clamping force. The NIP, thus calculated, has been considered for comparing the clamping force-wise landed price from the subject

country for calculating the weighted average injury margin. For determining the NIP, the best utilisation of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were added to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. average net fixed assets plus average working capital) for the PUC was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed.

81. The landed price and non-injurious price determined as above have been compared for the Plastic Processing Machine (PUC) clamping force-wise. The weighted average of the injury margins determined clamping force-wise for producers/exporters by the Authority is provided in the table below: -

INJURY MARGIN TABLE

Producer	Non- Injurious Price (Rs. Lacs. per machine)	Landed Price (Rs. Lacs. per machine)	Injury Margin (Rs. Lacs. per machine)	Injury Margin (%)	Injury Margin Range (%)
All producers/ exporters from China PR	***	***	***	***	35-45

M. POST DISCLOSURE STATEMENT COMMENTS

82. The Authority issued a disclosure statement on 4th February 2022 disclosing essential facts of the case and inviting comments from all the interested parties. The post-disclosure submissions have been received from the interested parties. Most of the issues flagged in the post-disclosure comments have already been raised earlier and addressed appropriately in the findings above. Additional submissions to the extent considered relevant have been examined below.

M.1. Submissions by the domestic industry

83. Following submissions have been made by the domestic industry:
- The clamping force as the sole parameter for identifying product types of the PUC is appropriate for the present investigation considering the parameters identifiable from the DGCIS data, non-cooperation from the subject country producers, general industry practice globally, and the past practice of the Authority.
 - The Authority is requested not to consider CPMIA and AIPMA as “interested parties” and thus not to take their submissions on record as the contrary would mean additional burden on the applicant association compared to other associations and set a bad precedent of non-compliance with legal requirements.
 - The Authority is justified in its observation that the use of number of machines for examining volume effect is inappropriate in view of different tonnages and values of different machines. In fact, some Chinese producers report their production and sales figures by expressing the quantity of different machines with different tonnages in terms of one particular tonnage only to achieve parity and equivalence. For instance, machines of 1000 tonne and 500 tonne clamping force are equivalent to 10 machines and 5 machines of 100 tonne clamping force respectively.
 - Subject imports are suppressing and depressing the prices of the domestic industry.
 - The domestic industry has suffered material injury due to the dumped subject imports.
 - There is no adverse impact of any ADD on consumers and public at large considering the objective of ADD, absence of participation from users/importers, lack of adverse impact and positive impact of ADD imposed in the past, insignificant cost impact that is quantified, lack of demand-supply gap in the country, need for after sales services to customers, high domestic

competition, need to support domestic investments, need for support to users in India, need for vibrant domestic industry and contribution of the industry to the economy of the country.

M.2. Submissions by the other interested parties

84. Following submissions have been made by other interested parties:

- a. The Authority is requested to confirm the exclusion of second hand used plastic processing machines in the final finding as in the disclosure statement.
- b. The submissions by the petitioners against CPMIA and AIPMA are mere allegations to mislead the Authority. There is no Trade Notice requiring exporters' association to file a questionnaire response. CPMIA and AIPMA had registered themselves as an interested party and filed injury submissions. The Authority has not sought any information from CPMIA through a notice as per Rule 6(4) of the AD Rules. No obligation was ignored by CPMIA and AIPMA. The Authority is requested to consider the submissions made by CPMIA and AIPMA.
- c. Allegation of the petitioner that CPMIA is not an interested party is unwarranted. CPMIA had participated in the previous investigations on the subject goods from the subject country and their arguments were taken on record by the Authority. The Authority has considered various chambers as interested parties in the past. Similar analogy should be applied to CPMIA.
- d. Allegation of the petitioner that AIPMA is not an interested party is unwarranted. The Authority has considered AIPMA as an interested party in several previous investigations. The finding on participation of associations as interested parties in the final finding of the anti-subsidy investigation on imports of 'Viscose Rayon Filament Yarn above 60 deniers' may be referred and the same analogy should be applied to AIPMA.
- e. A number of the members of PMMAI are not producers of the subject goods and hence, cannot be an interested party as per Rule 2(c)(iii) of the Rules. The information provided by the petitioner vide letter dated 6th Sept 2021 was not shared with the interested parties.
- f. Clamping force should not be considered as criteria for fair comparison. For same clamping force, the Chinese machines cost less and are cheaper. Hence, "space between tie bar" may be used to determine size of the machine. Machines of similar size have comparable cost and price.
- g. The public interest or interest of downstream industry has not been examined in the disclosure statement. The imposition of ADD will affect downstream industry which will put end users belonging to small-scale industries at stake. Imposition of ADD will contribute to steep inflationary trend and create competitive asymmetry.
- h. Haitian has submitted that machines offered by Haitian are of higher quality and costlier than those of other producers and therefore do not cause injury to the DI.

M.3. Examination by the Authority

85. The Authority notes that most of the submissions by the interested parties are repetitive in nature and have been already addressed appropriately in the findings above. Further, the Authority has examined post-disclosure submissions of the interested parties herein below to the extent relevant and not addressed elsewhere:

- a. With regard to CPMIA and AIPMA being considered "interested parties" for the purpose of the present investigation, the submissions of these parties have been taken on record. None of the members of these associations have participated in the investigation. The submissions by these associations have been considered to the extent considered relevant.
- b. As regards submissions filed by Haitian Plastics Machinery Group Co. Ltd, it is noted that it is not a registered interested party and had not participated in the investigation till the stage of issuance of disclosure statement. Neither the questionnaire response nor any submission had been filed by them till now. Now, at the post disclosure stage, they have requested to consider "tie bar distance" as a parameter for fair comparison. The Authority however rejects the submission of the Haitian Plastics Machinery Group Co. Ltd since (1) it is a new information filed by an entity which is not even registered as an interested party in this investigation. (2) the submission has been filed at a much belated stage i.e. after issuance of the disclosure statement. (3) it has not provided any justification /evidence in support of its argument (4) the submissions are claimed to

be confidential and, in any case, this being post disclosure submission there was no scope for the other interested parties to rebut the claims made in this submission.

- c. As regards the contention that number of members of the petitioner association are not producers of subject goods, the Authority notes that the present petition was filed under Rule 5, which requires written application to be filed “by or on behalf of the domestic industry”. It is undisputed that the present petition has been filed “by or on behalf of the domestic industry”. The petition therefore met the requirement laid down under Rule 5 of AD Rules.
- d. As regards quantifying import volume and market share by expressing the volumes in equivalent basis, it is noted that the Authority has already determined volume and market share by expressing the same in terms of value.

N. INDIAN INDUSTRY’S INTEREST AND PUBLIC INTEREST

86. The Authority considered whether imposition of the proposed ADD will be against public interest. This determination is based on consideration of information on record and interests of various parties, including domestic industry, importers, and consumers of the product.
87. The Authority issued initiation notification inviting views from all interested parties including importers, consumers and others. The Authority also issued questionnaire for the users/ consumers to provide relevant information including possible effect of ADD on their operations. However, none of the users/ importers have filed user questionnaire response. Though an importer association, namely AIPMA has filed submissions, none of its members have filed questionnaire response. The submissions of the importer association have been taken into account in the findings above. The association has not provided any quantified and verifiable information to demonstrate possible adverse effect of the proposed ADD on the consumers and public at large. It is, thus, noted that the interested parties have not established any adverse impact of ADD on the user industry with verifiable information. On the other hand, the domestic industry has quantified the impact of the proposed ADD on the subject goods and found it to be 0.0605% only, which is insignificant.
88. The Authority notes that the purpose of ADD, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures does not restrict imports from the subject country in any way. The Authority further notes that the subject goods are produced and imported into India from several countries other than the subject country. About 60% of the imports of the subject goods into India during the POI were from third countries. The imposition of the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country or affect the availability of the product to the consumers.
89. It is recognized that the imposition of ADD might affect the price levels of the products manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of the downstream industry. However, since the subject goods is a capital good, the cost increase of the asset is spread across the useful life of the asset. Hence, any increase in cost, is spread across the period and the impact passed on the end product is meagre.
90. The imposition of anti-dumping measure in fact would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods. The Authority notes that the domestic industry themselves have the capacities to meet almost the entire Indian demand. Further, the product is produced and sold by several other domestic producers in the country, who are members of the applicant association, leaving India with even surplus capacities. Due to the presence of large number of producers, domestic competition is guaranteed.
91. Further the capacity utilization of the domestic industry has been low in the POI. The domestic industry had the potential to cater to a higher share of the Indian market. However, due to the dumped import of the product under consideration, the domestic industry was faced with unutilized capacity and had a much smaller share in domestic market than what otherwise would have been.
92. The Authority notes that ADD was in force on the imports of the subject goods from the subject country during the entire injury period and the POI. Despite the same, neither has any interested party pointed out any adverse effect on account of the past application of the duties nor is there any information publicly available highlighting the same.

93. In view of the foregoing, the Authority is of the view that the imposition of ADD will not be against public interest.

O. CONCLUSION

94. Having regard to the contentions raised, submissions made, information provided and facts available before the Authority as recorded above and on the basis of the above analysis of dumping and consequent injury to the domestic industry, the Authority concludes that:
- i. M/s Shibaura Machine India Pvt. Ltd. and M/s Milacron India Pvt. Ltd. constitute domestic industry under Rule 2(b) of the Rules. Further, the application meets the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.
 - ii. The product produced by the domestic industry is like article to the PUC imported from the subject country.
 - iii. Since none of the producers/exporters of the subject goods from the subject country have cooperated with the present investigation, normal value and export price has been determined for all the producers/exporters of the subject goods from the subject country. The dumping margin thus determined is above de-minimis and significant.
 - iv. The domestic industry has suffered material injury. The Authority notes that the subject imports have increased in absolute terms as also in relation to Indian consumption. The subject imports are undercutting and suppressing the prices of the domestic industry. Overall performance of the domestic industry has deteriorated in the POI(A) in terms of production, sales, capacity utilization, and various profit parameters. The domestic industry is suffering financial losses and negative returns on investment during the POI.
 - v. The domestic industry has not suffered injury due to other factors. Therefore, the material injury caused to the domestic injury is due to dumping of the product under investigation from the subject country.
 - vi. Even though the Authority has prescribed formats for the users to quantify the impact of ADD and elaborate how imposition of ADD shall adversely impact them, it is noted that no importer/user of the subject goods in India has cooperated with the present investigation. The cooperating importer association has failed to provide any verifiable evidence on the same as well. On the other hand, the domestic industry has quantified the impact of the ADD on the user industry to be insignificant. It is, thus, noted that the interested parties have not established any adverse impact of ADD on the downstream user industry.

P. RECOMMENDATIONS

95. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers, and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury, and the causal link thereof in terms of the Rules and having established positive dumping margin as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping duty is necessary to offset dumping and injury.
96. Considering that the product under consideration is capital goods, the assessment and collection of anti-dumping duty should be based on value of the goods rather than on any other criterion such as weight or number etc. The Authority therefore considers that it would be appropriate to recommend antidumping duty as a percentage of the CIF value of the import price of the subject goods.
97. In view of the above, the Authority, in terms of provisions contained in Rule 17(1)(b) read with Rule 4(d) of the Rules, recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. The Authority accordingly recommends imposition of anti-dumping duty on the imports of subject goods originating in or exported from China PR for a period of five years from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, as a percentage of the CIF price of the goods, as indicated in Col. 8 of the duty table given below.
98. The landed value of imports for this purpose shall be assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3, 3A, 8B, 9, 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

DUTY TABLE

SN	Sub Heading or Tariff Item	Description of Goods	Specification	Country of Origin	Country of Export	Producer	Duty Amount	Unit of Measure
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	8477.1000	Plastic Processing or Injection Moulding Machines*	Clamping force not less than 40 tonnes and not more than 3200 tonnes	China PR	Any country including China PR	Any	43.59 % of CIF value	%
2	-Do-	-Do-*	-Do-	Any country other than China PR	China PR	Any	43.59 % of CIF value	%

*The following type of machine are excluded from the scope of the product under investigation:

- i. Blow moulding machines classified under Customs Tariff Classification No. 847730;
- ii. Vertical injection moulding machines;
- iii. All electric injection moulding machines wherein the mechanical movements such as injection, mould closing, mould opening, ejection, screw-drive, etc. are controlled by independent servo motors and having digital control system and without Hydraulic Unit;
- iv. Multi-colour/ multi-mould machinery for making footwear, Rotary injection moulding machinery for making footwear and footwear sole/strap/heel injection moulding machine classified under the Customs Tariff Classification No. 8453.
- v. Second hand/ used plastic processing machines.

Q. FURTHER PROCEDURE

99. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority